

VISIONIAS

www.visionias.in



Classroom Study Material

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

JUNE 2016 – FEB 2017

NOTE: March 2017 to 15th May 2017 current affairs for PT 365 International Relations will be updated on our website on third week of May 2017.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. भारत और विश्व	7
1.1. भारत-पाकिस्तान	7
1.1.1. बलूचिस्तान का मुद्दा	7
1.1.2. गिलगित-बाल्टिस्तान	7
1.1.3. सिंधु जल संधि	8
1.1.4. मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)	9
1.1.5. भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह	9
1.2. भारत-अफगानिस्तान	9
1.3. भारत-भूटान	10
1.4. भारत-बांग्लादेश	10
1.4.1. सिलहट के बारे में	10
1.4.2. पेट्रोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP)	11
1.4.3. आकाशवाणी मैत्री	11
1.5. भारत-श्रीलंका: मधुआरों का मुद्दा	11
1.6. भारत-म्यांमार	12
1.6.1. म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	12
1.6.2. म्यांमार के रास्ते कोलकाता-मिज़ोरम व्यापार मार्ग	12
1.6.3. कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट	13
1.6.4. कोकांग विद्रोही	13
1.7. दक्षिण-पूर्व एशिया	13
1.7.1. इंडिया-थाईलैंड-म्यांमार फ्रेंडशिप मोटर कार रैली	13
1.7.2. भारत-कंबोडिया	13
1.7.3. भारत-इंडोनेशिया	13
1.7.4. भारत-सिंगापुर	14
1.7.5. भारत-वियतनाम	15
1.7.6. भारत और फिलीपींस	15
1.8. भारत-जापान	16
1.9. भारत और दक्षिण कोरिया	16
1.10. भारत-ताइवान	16
1.11. पश्चिम एशिया-(West Asia)	17
1.11.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात	17
1.11.2. भारत-क़तर	17
1.11.3. भारत और ईरान	18
1.12. भारत-अफ्रीका	19
1.12.1 भारत-आइवरी कोस्ट	19

1.12.2. भारत-घाना	19
1.12.3 भारत-नामीबिया	19
1.12.4. भारत-मिस्र	20
1.12.5. उपराष्ट्रपति की उत्तर अफ्रीकी देशों की यात्रा	20
1.12.6. भारत- पूर्वी अफ्रीका	21
1.12.7. प्रधानमंत्री की चार अफ्रीकी देशों की यात्रा	22
1.12.8. भारत-केन्या	23
1.13. भारत-अमेरिका	24
1.13.1. भारत-अमेरिकी बीजा विवाद	25
1.13.2. रक्षा सहयोग	26
1.13.3. तीसरी दुनिया के देशों (THIRD WORLD COUNTRIES) के लिए सहयोग	27
1.14. भारत-रूस संबंध	27
1.15. भारत-यूक्रेन	28
1.16. भारत-साइप्रस	28
1.17. भारत-पुर्तगाल	28
1.18. भारत-UK	29
1.19. कौशल विकास पर भारत और जर्मनी के मध्य समझौता	29
1.20. भारत और इटली	30
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठन / संस्थाएँ	31
2.1. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन	31
2.1.1. MSME सहयोग पर MoU	31
2.1.2. आंतरिक मामलों के मंत्रियों (गृह मंत्रियों) की उच्च -स्तरीय बैठक	31
2.2. IMF सुधार	32
2.3. कोअलिशन फॉर एपीडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस	33
2.4. कांफ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (CICA)	33
2.5. बहुपक्षीय निर्यात व्यवस्थाएं	33
2.5.1. परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के बारे में	33
2.5.2. मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)	34
2.5.3. वासेनार व्यवस्था	35
2.5.4. ऑस्ट्रेलिया समूह	35
2.6. बिस्मटेक	35
2.7. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन	36
2.8. विश्व व्यापार संगठन (WTO)	36
2.9. एसेम सम्मलेन	37

2.10. इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन	37
2.11. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मलेन	38
2.12. सार्क शिखर सम्मलेन	38
2.13. BBIN पहल	38
2.14. भारत-आसियान	39
2.15. ब्रिक्स (BRICS)	40
2.15.1. ब्रिक्स का आठवां शिखर सम्मलेन	40
2.15.2. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी	41
2.15.3. एक्जिम बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन	41
2.15.4. भारत में प्रथम ब्रिक्स युवा वैज्ञानिकों के कॉन्क्लेव का आयोजन	42
2.15.5. जयपुर घोषणा पत्र	42
2.16. UNCITRAL के 50 वर्ष	42
2.17. G-20 शिखर सम्मेलन	43
2.18. निःशस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति	43
2.19. भारत और AARDO के बीच समझौता ज्ञापन	44
2.20. मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा	44
2.21. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय	44
2.22. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद	45
2.23. जयपुर शिखर सम्मेलन: FIPIC (Jaipur Summit: FIPIC)	45
2.24. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी	45
2.25. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक	46
3. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं	47
3.1. इजराइल-फिलिस्तीन	47
3.2. ब्रेक्जिट	47
3.3. संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान	48
3.4. हार्ट ऑफ एशिया (HoA) सम्मेलन	48
3.5. अफपाक (Afpak)-मध्य एशिया में चीन की भूमिका	49
3.6. रूस-पाकिस्तान	49
3.7. APTTA (अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट)	49
3.8. वन चाइना पॉलिसी	50
3.9. दक्षिण चीन सागर विवाद	50

3.10. दक्षिण चीन सागर में जिशा और नानसा द्वीप	51
3.11. शंगरी ला वार्ता: एशिया सुरक्षा सम्मेलन	52
3.12. रोहिंग्या मुद्दा	52
3.13. रायसीना वार्ता	52
3.14. अलेप्पो की लड़ाई	52
3.15. सीरिया के लिए रूसी-तुर्की शांति पहल	53
3.16. तुर्की में तख्तापलट का प्रयास असफल	53
3.17. दक्षिण सूडान में सशस्त्र संघर्ष	53
3.18. कोलंबियाई क्रांतिकारी सशस्त्र बल	54
3.19. ब्राजील में सत्ता परिवर्तन	54
3.20. प्रवासी और शरणार्थी	55
3.20.1. प्रवासियों और शरणार्थियों पर न्यूयॉर्क घोषणा	55
3.20.2. पर्यावरणीय शरणार्थी	55
3.20.3. शरणार्थियों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट	56
3.21. एसेम शिखर सम्मेलन: उलान बटोर घोषणा	57
4. बहुपक्षीय व्यापार	58
4.1 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)	58
4.2. चीन की 'वन बेल्ट, वन रोड' (OBOR) पहल	58
4.3. चीन पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर	58
4.4. एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक (AIIB)	59
4.5. ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी	60
4.6 ब्राजील ने मर्कोसुर को विस्तारित करने के लिए भारत से आग्रह किया	60
4.7. ट्रांस-अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (TTIP)	60
4.8 एपेक शिखर सम्मेलन 2016	61
5. रिपोर्ट/ सूचकांक	62
5.1. अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक (GPI) 2016	62
5.2 गुड कंट्री इंडेक्स	62
5.3. ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2016	62
6. विविध	63
6.1. सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P)	63
6.2. वैश्विक निवेश समझौता	63

6.3 विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2017	63
6.4 IRCH की बैठक	64
6.5 मृत्युदंड : एग्नेस्टी रिपोर्ट	64
6.6 ICN 2018 : वार्षिक सम्मेलन	64
6.7 राधिका मेनन	64
6.8 वियना सम्मेलन	65
6.9 क्यूबेक	65
6.10 भारत ने ग्रीस के साथ ओपेन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किया	65
6.11 भारत-चिली पीटीए (PTA) का विस्तार	66
6.12. चागोस द्वीपसमूह विवाद	66
6.13 भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लिया	66
6.14. 14वाँ प्रवासी भारतीय दिवस- 2017	67
6.15 बॉर्डर हाट	67
6.16 विकास के लिए सतत पर्यटन	67
6.17 RIMPAC 2016	68
6.18. एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत	68
6.19. 'अर्बन प्लस' एप्रोच	68
6.20. कफाला श्रम व्यवस्था	69
7. सैन्य अभ्यास	70
8. पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्न	72

**Do not get strayed when every second is precious.
To achieve your target take steps in the right direction
before time runs out.**

Open Mock Tests
ALL INDIA GS PRELIMS TEST

- ✎ Test available in ONLINE mode ONLY
- ✎ All India ranking and detailed comparison with other students
- ✎ Vision IAS Post Test Analysis™ for corrective measures & continuous performance improvement
- ✎ Available in ENGLISH/HINDI
- ✎ Closely aligned to UPSC pattern
- ✎ Complete coverage of UPSC civil services prelims syllabus



Register @ www.visionias.in/opentest

Besides appearing for All India Open Tests you can also attempt previous year's UPSC Civil Services Prelims papers on VisionIAS Open Test Platform

1. भारत और विश्व

(INDIA AND WORLD)

1.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

1.1.1. बलूचिस्तान का मुद्दा

(Issue of Balochistan)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में बलूच स्वतंत्रता संघर्ष का उल्लेख किया। इसे भारत की पाकिस्तान नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है।

बलूचिस्तान का मुद्दा

- बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे अल्पविकसित प्रांत है, जहाँ 13 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हैं, जिनमें से अधिकांशतः बलूची लोग हैं।
- 1947 में जब पाकिस्तान अलग देश बना, **खानैत ऑफ़ कलात (Khanate of Kalat)** के शासकों ने नए राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया था। **खानैत ऑफ़ कलात** ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत थी और वर्तमान बलूचिस्तान का भाग है।
- पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए मार्च 1948 में सैनिक टुकड़ियां भेजी। हालांकि, कलात के तत्कालीन शासक यार खान ने विलय-संधि पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन इसके बाद भी उसके भाइयों और अनुयायियों ने लड़ाई जारी रखी।

सशस्त्र संघर्ष

- प्रांत में अनेक अलगाववादी समूह हैं।
- उनमें से सबसे मजबूत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) है, जो पाकिस्तान और ब्रिटेन द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित है।

वृहद् परियोजनाएँ

अब पाकिस्तान की वृहद् आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीतियों में इस प्रांत का महत्व बहुत अधिक बढ़ रहा है।

- चीन ने 46 अरब डालर के निवेश द्वारा **डीपवाटर पोर्ट ग्वाटर** को झिंजियांग के पश्चिमी चीनी क्षेत्र में अवस्थित एक व्यापारिक केंद्र, काशगर सिटी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है।
- ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भी बलूचिस्तान से होते हुये आगे ले जाने की योजना बनाई है।



1.1.2. गिलगित-बाल्टिस्तान

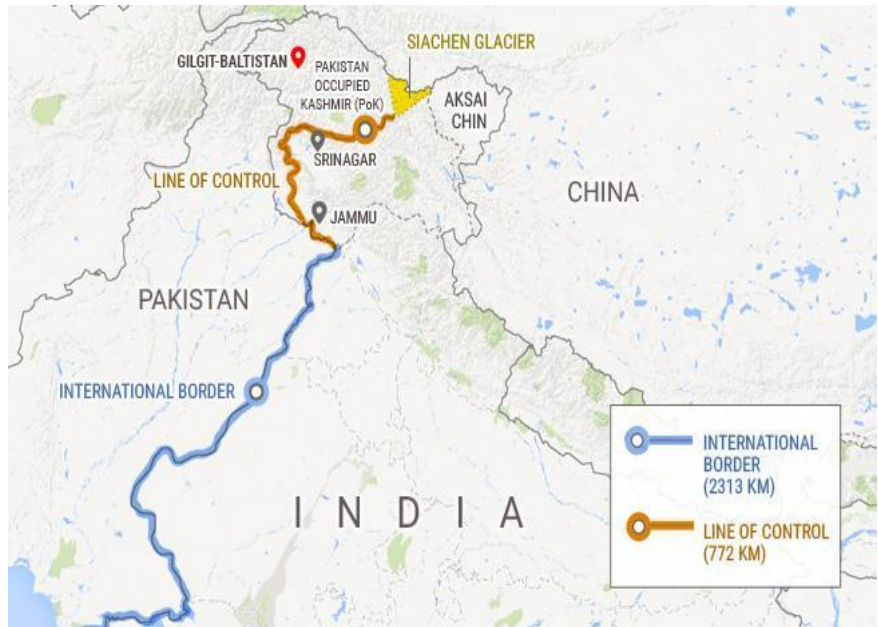
(Gilgit-Baltistan)

- गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर के उत्तर पश्चिमी कोने में ऊँचाई पर स्थित क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत का एक हिस्सा था, लेकिन नवंबर 1947 के बाद से यह पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- क्षेत्र को 'पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र' नाम दिया गया। पाकिस्तानी सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्व-शासन का आदेश (**Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance Order**) अधिनियमित करने के बाद, 'उत्तरी क्षेत्र' को गिलगित-बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाने लगा।

- भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को भारतीय क्षेत्र के रूप में देखता है जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है।
- 1994 के एकमत (unanimous) संसदीय संकल्प ने पुष्टि की थी कि यह क्षेत्र "जम्मू एवं कश्मीर राज्य का हिस्सा है, जो 1947 में इसके अधिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है।

चीन की भूमिका

- 1963 में पाकिस्तान-चीन समझौते के तहत चीन को शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) का हस्तांतरण किया गया। इस समझौते के बाद से बीजिंग की इस क्षेत्र में भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है।
- चीन ने झिजियांग के काशगर को गिलगित से जोड़ने के लिए काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।



1.1.3. सिंधु जल संधि

(Indus Water Treaty: IWT)

सुर्खियों में क्यों?

- उड़ी हमले के परिणामस्वरूप कई विशेषज्ञों ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि रद्द करने और पाकिस्तान को दिए गए MFN दर्जे को वापस लेने की मांग की है।
- **किशनगंगा जलविद्युत संयंत्र विवाद:** पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा नदी (झेलम की सहायक नदी) की एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना पर विश्व बैंक में एक नई शिकायत (complaint) दर्ज की है। यह विवाद चिनाब नदी पर रतले बांध के निर्माण से सम्बंधित है।
- **बगलिहार बांध मुद्दा:** यह चिनाब नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर पावर प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बगलिहार परियोजना के डिजाइन मानदंडों ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है।

सिंधु जल संधि की समीक्षा

- सिंधु नदी जल के इष्टतम उपयोग हेतु आवश्यक जिन उपायों पर भारत ने अभी तक अमल नहीं किया है, केंद्र ने उन उपायों की एक सूची बनाई है।
- केंद्र सरकार ने IWT पर भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
- सरकार ने पश्चिमी नदियों पर अधिक रन-ऑफ-द-रिवर जल विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए, 18,600 मेगावाट (वर्तमान परियोजनाएं 11,406 मेगावाट तक की हैं) की पूर्ण क्षमता का दोहन करने का निर्णय लिया है।
- तुलबुल नेविगेशन परियोजना को पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में विचार करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1987 में पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद भारत ने इसे स्थगित कर दिया था।

सिंधु जल संधि

सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा 19 दिसम्बर 1960 को हस्ताक्षर किया गया था।

- भारत से होकर पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु और इसकी पांच सहायक नदियों के लिए वर्ष 1960 में हुई संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक (तत्कालीन IBRD) द्वारा की गई थी और नियंत्रण रेखा पर यह संधि युद्ध और संघर्ष के बावजूद बनी रही है।

- संधि के अनुसार, व्यास, रावी और सतलुज भारत पर भारत का नियंत्रण होगा , जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा।
- सिंधु के भारत से हो कर बहने के कारण इसके 20 प्रतिशत जल का भारत द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन और परिवहन प्रायोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति है।
- हालांकि सिन्धु तिब्बत से निकलती है, लेकिन इस संधि से चीन को बाहर रखा गया है। यदि चीन नदी के प्रवाह को रोकने या बदलने का निर्णय करता है, तो यह भारत और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करेगा।
- संधि के कार्यान्वयन और इसके प्रबंधन हेतु एक स्थायी द्विपक्षीय आयोग- **सिन्धु आयोग** की स्थापना की गई थी। आयोग, जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करता है। संधि भी सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता तंत्र की व्यवस्था करती है।

विवाद समाधान तंत्र

संधि ऐसे विवादों की तीन श्रेणियों और उनके समाधान तंत्र की पहचान की गयी है:

- सिंधु आयोग के स्तर पर या दोनों सरकारों के स्तर पर चर्चा करने के लिए '**Questions (प्रश्न)**';
- यदि ये एक निश्चित प्रकार (अर्थात मोटे तौर, तकनीकी प्रकृति के मतभेद) के हैं तो एक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert-NE) को संदर्भित करने के लिए '**Differences (मतभेद-अनसुलझे 'प्रश्न')**'; तथा
- '**विवाद 'Disputes' ('मतभेद' से आगे)** जो कि विवाचन न्यायालय (Court of Arbitration) के पास भेजा जा सकता है।

1.1.4. मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)

(Most Favoured Nation)

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत एक सदस्य देश अपने व्यापारिक भागीदारों से भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि एक व्यापारिक भागीदार को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को यह दिया जाना होगा।
- इस प्रकार, MFN एक व्यापार भागीदार को दिया जाने वाला दर्जा है। यह अन्य देशों की तुलना में दो व्यापारिक भागीदारों के मध्य भेदभाव रहित व्यापार सुनिश्चित करने हेतु दिया जाता है।
- यद्यपि भारत ने यह दर्जा पाकिस्तान को वर्ष 1996 में ही दिया था तथापि पाकिस्तान ने अभी तक इसका भारत को यह दर्जा नहीं प्रदान किया है।

1.1.5. भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह

(UN Military Observer Group in India and Pakistan: UNMOGIP)

सुर्खियों में क्यों?

स्वीडिश मेजर जनरल पेर लोडिन (Per Lodin) को दो वर्ष की अवधि के लिए **UN मिलिट्री आब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान (UNMOGIP)** के मिशन के प्रमुख तथा चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है।

UNMOGIP के बारे में

- 1948 में यह ग्रुप कश्मीर पर इन दोनों देशों के मध्य विवाद की जांच एवं मध्यस्थता करने हेतु स्थापित किया गया था।
- भारत इसके अधिदेश (mandate) को स्वीकार नहीं करता क्योंकि भारत कश्मीर मुद्दे को 1972 के शिमला समझौते द्वारा मान्यता प्राप्त द्विपक्षीय मुद्दा मानता है।
- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया कि इसका अधिदेश LoC तक सीमित है, जिसके तहत इसे LoC पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र अब कश्मीर की स्थिति की निगरानी नहीं करेगा।

1.2. भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रपति गनी ने भारत की आधिकारिक यात्रा की

- वांछित आतंकवादियों और अपराधियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये गए।
- आउटर स्पेस (outer space) के शांतिपूर्ण उपयोग तथा नागरिक व वाणिज्यिक मामलों में सहयोग पर समझौता।

- भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, अवसंरचना और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत बनाने जैसे क्षेत्रों में सामर्थ्य और क्षमता निर्माण ('कैपेसिटी एंड कैपबिलिटी बिल्डिंग') के लिए 1 बिलियन डॉलर के सहयोग का वादा किया है।

प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान

प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संयुक्त रूप से अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अफगान-भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया।

- प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड** से सम्मानित किया गया।
- अफगान सरकार ने 2015 में परियोजना का नाम सलमा बांध से बदलकर अफगान-इंडिया फ्रेंडशिप डैम (Afghan-India Friendship Dam) रख दिया है।
- 42 मेगावाट क्षमता का ये बांध हेरात के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगा।

संस्थागत और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत का योगदान:

- भारत ने अफगानिस्तान के संस्थागत और बुनियादी ढांचे के विकास में करीब 2 अरब डॉलर का योगदान दिया है।
- इसने **TAPI पाइपलाइन परियोजना** पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो भारत को तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से प्राकृतिक गैस प्रदान करेगी।



1.3. भारत-भूटान

(India-Bhutan)

सुखियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था (**फ्री ट्रेड रिजीम**) के लिए एक नए समझौते को मंजूरी दी गयी।
- इससे पहले भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर 10 वर्ष की अवधि के लिए 29 जुलाई 2006 को हस्ताक्षर किया गया था।

नए समझौते के बारे में

- नया समझौता निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:
- दोनों देशों के बीच एक **फ्री ट्रेड रिजीम**।
- तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भूटान के माल को शुल्क मुक्त पारगमन की सुविधा।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपए और भूटान की मुद्रा (**Ngultrums**) में होना जारी रहेगा।
- नए समझौते के अंतर्गत, तीसरे देश में उत्पादित होने वाले माल के साथ-साथ दोनों देशों के माल के परिवहन हेतु भारत और भूटान के बीच वार्षिक विचार-विमर्श की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

1.4. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

1.4.1. सिलहट के बारे में

(About Sylhet)

भारत और बांग्लादेश ने सिलहट शहर के सतत विकास के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। भारत इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

- इस परियोजना के तहत, भारत सरकार सिलहट में पांच मंजिला किंडर गार्टन और हाई स्कूल बिल्डिंग तथा एक छह मंजिला क्लीनर कॉलोनी बिल्डिंग के निर्माण और धूपा दिघिरपार क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों के लिए लगभग 240 मिलियन টাকা की कुल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

- इस MoU पर हस्ताक्षर भारत और बांग्लादेश के बीच इससे पूर्व अप्रैल 2013 में किये गए एक अन्य MoU पर हस्ताक्षर की पृष्ठभूमि में किया गया है। पूर्व में हुआ MoU बांग्लादेश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के लिए सतत विकास परियोजनाओं से संबंधित है।
- सिलहट एक प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जीवंत शहर है।
- यह मूल रूप से बंगाल प्रेसीडेंसी और बाद में पूर्वी बंगाल और असम का भाग था।
- यह शहर 1874 से 1947 के बीच औपनिवेशिक असम का भाग था, एक जनमत संग्रह और ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद; यह पूर्वी बंगाल का भाग बन गया।
- यह 1971 के मुक्ति संग्राम का एक केंद्र बिन्दु रहा है।

1.4.2. पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP)

(Petrapole Integrated Check Post (ICP))

- जुलाई 2016 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेट्रापोल ICP का उद्घाटन किया गया।
- पेट्रापोल-बेनापोल, भारत-बांग्लादेश व्यापार हेतु एक महत्वपूर्ण स्थल-मार्ग सीमा चौकी है। भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार का 50 प्रतिशत से अधिक भाग पेट्रापोल चौकी से होता है।
- पेट्रापोल ICP, भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित दूसरा ICP होगा। अगरतला ICP, अगरतला (भारत)-अखौरा (बांग्लादेश) की सीमा पर स्थित पहला ICP है।
- यह दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा लैंड पोर्ट होगा।

1.4.3. आकाशवाणी मैत्री

(Akashvani Maitree)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने "आकाशवाणी मैत्री" चैनल का शुभारंभ किया। यह चैनल ऑल इंडिया रेडियो का एक अनूठा कार्य है जिसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। यह सेवा 596 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित की जायेगी।

1.5. भारत-श्रीलंका: मछुआरों का मुद्दा

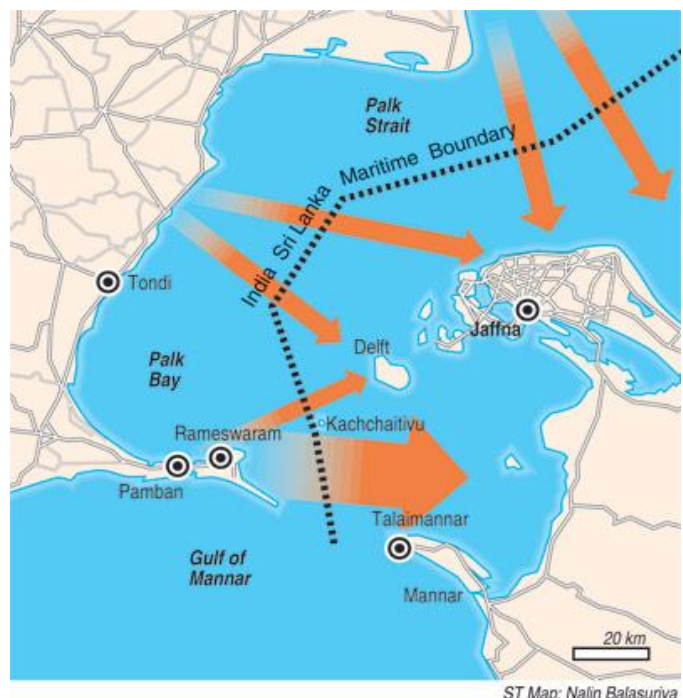
(India-Sri Lanka: Fishermen Issue)

सुर्खियों में क्यों?

भारत और श्रीलंका लंबे समय से चले आ रहे तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप: JWG) और अपने तटरक्षक बलों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

संबंधित जानकारी

- दोनों पक्षों के बीच विवाद का कारण पाक खाड़ी (Palk Bay) है, यह 137 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के बीच है।
- एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री लाइन: IMBL) पांच भारतीय और तीन श्रीलंकाई जिलों को अलग करती है।
- पाक खाड़ी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। हालांकि, हाल के दशकों में विभिन्न जटिल मुद्दों के संयोजन ने इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है।



कच्चातीवू की संप्रभुता का मामला

(Issue of Sovereignty of Kachchatheevu)

- वर्ष 1974 और 1976 के समुद्री सीमा समझौतों ने क्रमशः पाक खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित (delimit) किया है। लेकिन इस विषय में संबद्ध लोगों, जैसे मछुआरों, से विचार-विमर्श नहीं किया गया था।
- द्वीप पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित भू-स्वामित्व की जमींदारी प्रथा में शामिल था। ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के समय, नई दिल्ली ने कच्चातीवू को भारत के भूभाग के रूप में स्वीकार नहीं किया बल्कि इसे एक विवादास्पद क्षेत्र माना।
- तमिलनाडु सरकार के अनुसार, भारतीय तमिल मछुआरों के कष्ट कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंपने और भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मत्स्यन अधिकारों के त्याग का सीधा परिणाम है।
- तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के मुताबिक, हालांकि द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था, भारतीय मछुआरों ने कच्चातीवू के आस-पास के क्षेत्र में पारंपरिक मत्स्यन अधिकारों का उपयोग करना जारी रखा था।

1.6. भारत- म्यांमार

(India-Myanmar)

1.6.1. म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

(Visit of President of Myanmar)

सुखियों में क्यों?

म्यांमार संघ गणराज्य के राष्ट्रपति H.E.U. हेतिन काव ने 2016 अगस्त में भारत का राजकीय दौरा किया।

म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की सूची:

- म्यांमार के त्रिपक्षीय राजमार्ग (Trilateral Highway) तामू-कियगोन-कलेवा रोड सेक्शन (road section) में अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचने वाली सड़कों सहित 69 पुलों के निर्माण में सहयोग पर करार।
- कलेवा-यज़ी रोड सेक्शन के निर्माण तथा उन्नयन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार।
- चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार।

भारत के विदेश मंत्री की म्यांमार यात्रा

असैनिक सरकार के म्यांमार में सत्ता में आने के बाद भारतीय विदेश मंत्री की यह यात्रा पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।

- म्यांमार के नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे भारत के खिलाफ किसी भी उग्रवादी समूह को अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।
- विदेश मंत्री ने म्यांमार के प्रमुख नेताओं के साथ सहयोग के सभी संभव क्षेत्रों जैसे ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा की। भारत पहले ही मोरेह-तामू लिंक के माध्यम से म्यांमार को 3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

1.6.2. म्यांमार के रास्ते कोलकाता-मिज़ोरम व्यापार मार्ग

(Kolkata-Mizoram Trade Route Via Myanmar)

- बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार के डीप वाटर बंदरगाह सितवे (Sittwe) (भारत द्वारा निर्मित) का उद्घाटन किया गया। यह भारत को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए चिकन नेक (chicken neck) या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अतिरिक्त एक अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा।
- इसके कारण कोलकाता से मिज़ोरम एवं इससे आगे जाने की दूरी तथा लागत कम हो जाएगी।

सितवे के सम्बन्ध में,

- सितवे दक्षिण-पश्चिमी म्यांमार में रखाइन राज्य की राजधानी है (जो रोहिंग्या मुस्लिमों की दुर्दशा के कारण सुखियों में है)।
- यह कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है, जो उत्तर-पूर्वी भारत के मिज़ोरम राज्य से बहती है।

1.6.3. कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट

(Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project)

- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट म्यांमार के सितवे बंदरगाह को समुद्री मार्ग के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह से जोड़ने वाली परियोजना है।
- इसके पश्चात यह सितवे बंदरगाह को कलादान नदी नौका मार्ग द्वारा म्यांमार में लाशियो से जोड़ेगा तथा आगे सड़क मार्ग द्वारा लाशियो से भारत के मिजोरम राज्य तक संपर्क स्थापित किया जाएगा।



1.6.4. कोकांग विद्रोही

(Kokang Rebels)

कोकांग लोग बर्मा के नृजातीय समूह हैं। ये लोग मंदारिन बोलते हैं और चीन के हान प्रान्त में रहते हैं। कोकांग स्पेशल रीजन (special region) के रूप में प्रशासित हैं।

1.7. दक्षिण -पूर्व एशिया

(South East Asia)

1.7.1. इंडिया-थाईलैंड-म्यांमार फ्रेंडशिप मोटर कार रैली

(India-Thailand-Myanmar Friendship Motor Car Rally)

भारत ने दिल्ली से बैंकॉक के लिए इंडिया गेट के लॉन से एक मैत्री (फ्रेंडशिप) मोटर कार रैली खाना की।

IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग के बारे में

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग 1,990 मील (3200 किमी) की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को आसियान क्षेत्र के साथ जोड़ेगा।
- यह राजमार्ग मणिपुर (भारत) के मोरेह को, मांडले शहर (म्यांमार) के रास्ते माई सोत जिले (थाईलैंड) से जोड़ता है।
- बांग्लादेश भी बिस्मटेक(BIMSTEC) के माध्यम से IMT राजमार्ग में शामिल होने का इच्छुक है।

1.7.2. भारत-कंबोडिया

(India-Cambodia)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी-BIT) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।

- यह दिसंबर 2015 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इंडियन मॉडल वाले BIT के प्रारूप के तहत होने वाली प्रथम द्विपक्षीय निवेश संधि है।
- संधि का उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश प्रवाह में वृद्धि करने के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना और उसे संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करना है।

1.7.3. भारत -इंडोनेशिया

(India-Indonesia)

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो (Joko Widodo) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। 2014 में सत्ता संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है।

यात्रा के परिणाम

दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले राष्ट्र भारत और इंडोनेशिया ने अपनी प्रतिरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा संबंधों को विस्तार देने का निर्णय किया और साथ ही आतंकवाद से भी निपटने का संकल्प लिया।

- अवैध और अविनिमित्य मत्स्यन से मुकाबला करने के विषय पर एक संयुक्त विज्ञप्ति।
- दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए कहा कि आतंक के कृत्यों के लिए "जीरो टॉलरेंस" होनी चाहिए।
- दक्षिण चीन सागर विवाद: दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे के समाधान के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त सिद्धांतों



तथा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (United Nations Convention on the Law of the Sea :UNCLOS) के अनुरूप हल किया जाना चाहिए।

- दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र को और अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल बनाने के विचार के साथ संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद सहित उसके प्रमुख अंगों में सुधारों के लिए समर्थन को दोहराया।
- रक्षा सहयोग: दोनों पक्ष रक्षा मंत्रियों की वार्ता और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठकों के नतीजों का शीघ्र प्रवर्तन चाहते हैं, ताकि रक्षा क्षेत्र के समझौते (agreement on defence) का द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते (bilateral defence cooperation agreement) में उन्नयन हो सके।

इंडोनेशिया, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है। यह दक्षिण चीन सागर और दक्षिणी हिंद महासागर को जोड़ने वाले सभी जलडमरूमध्य (straits) को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है।

1.7.4. भारत-सिंगापुर

(India-Singapore)

सुखियों में क्यों?

सिंगापुर गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग (Mr. Lee Hsien Loong) ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए :

- औद्योगिक संपदा सहयोग (Industrial Property Cooperation) के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training) के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- 'स्मार्ट सिटी' और "स्किल इंडिया" पहलों हेतु समझौते।

कर चोरी पर नियंत्रण की दिशा में भारत ने द्विपक्षीय DTAA में संशोधन करने के लिए सिंगापुर के साथ **द थर्ड प्रोटोकॉल (the Third Protocol)** पर हस्ताक्षर किए।

प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में कुछ तथ्य

- वर्तमान में भारत-सिंगापुर DTAA किसी कंपनी में शेयरों के पूंजीगत लाभ (capital gains) पर निवास आधारित कराधान (resident based taxation) की व्यवस्था करता है। थर्ड प्रोटोकॉल किसी कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ पर स्रोत आधारित कराधान की व्यवस्था करने हेतु DTAA में संशोधन करता है। यह संशोधन अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा।

- यह भारत को सिंगापुर से प्राप्त निवेश पर पूंजीगत लाभ कर (capital gains tax) की वसूली की अनुमति देगा।
- टैक्स की दर अगले दो वर्षों के लिए वर्तमान भारतीय दर की आधी होगी और अप्रैल 2019 तक दरों को वर्तमान दर के बराबर कर दिया जाएगा।
- पहले 2 वर्षों के लिए, इस तरह के लाभ पर करों का बंटवारा भारत और सिंगापुर में बराबर किया जाएगा और तीसरे वर्ष के बाद से, इस तरह के सभी कर पूर्णतः भारत के हिस्से में आएंगे।

1.7.5. भारत-वियतनाम

(India-Vietnam)

वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली की प्रमुख गुयेन थी किम न्गान (Nguyen Thi Kim Ngan) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

A. भारतीय प्रधानमंत्री ने वियतनाम की यात्रा की।

दोनों देशों ने अपने संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership)" के स्तर से बढ़ाकर उसको "व्यापक रणनीतिक साझेदारी (comprehensive strategic partnership)" वाला बनाने का निर्णय किया।

- रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान एवं व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने इत्यादि को कवर करने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला से सम्बंधित 12 समझौते।
- **रक्षा समझौता:** भारत ने रक्षा सहयोग के लिए वियतनाम को 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट दिया है।
- भारत ने इससे पूर्व 2013 में वियतनाम को रक्षा हार्डवेयर खरीदने के लिए \$ 100 मिलियन डॉलर की पेशकश की थी। हालांकि दोनों देश **ब्रह्मोस मिसाइलों** (भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित) की बिक्री के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

B. रक्षा मंत्री ने वियतनाम की आधिकारिक यात्रा की।

- भारत ने हाल ही में वियतनाम को 100 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान किया है। जिसका उपयोग वियतनाम द्वारा अपने बॉर्डर गाड़ों के लिए अपतटीय गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए किया जा रहा है।
- नेशनल असेम्बली ऑफ़ वियतनाम की अध्यक्ष गुयेन थी किम न्गान (Nguyen Thi Kim Ngan) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।
- वियतनाम 14वां देश है जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) तथा वियतनाम इलेक्ट्रिसिटी (EVN) के मध्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से कार्य करने हेतु एक साझेदारी विकसित करने के लिए एक अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया।

रक्षा सहयोग:

- भारत इस दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के सुखोई-30 लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गया।
- शांति स्थापना के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान के सम्बन्ध में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

1.7.6. भारत और फिलीपींस

(India and Philippines)

कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यार्ड (GRSE) फिलीपींस नौसेना को दो युद्धपोतों की आपूर्ति के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला उपक्रम बना है। GRSE ने कमोर्ता (Kamorta) वर्ग के एंटी सबमैरीन वारफेयर (ASW) जहाजों की फिलीपीन्स को पेशकश की है।

- भारत ने पहली बार दिसंबर 2014 में एक अपतटीय गश्ती पोत के रूप में मॉरीशस को अपने पहले युद्धपोत का निर्यात किया।
- भारत द्वारा वर्ष 2014 में किये 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान करने के समझौते के तहत वियतनाम के लिए 4 गश्ती जहाजों की आपूर्ति की जाएगी।

'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी

- भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस (extended neighbourhood) पर फोकस करती है। इस नीति की आरंभिक परिकल्पना एक आर्थिक पहल के रूप में थी परन्तु अब इस नीति में राजनैतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को भी सम्मिलित कर दिया गया है।

- 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के तहत भारत इस क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को सक्रियता से सुदृढ़ कर रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग की केंद्रीय भूमिका है।
- AEP अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत और आसियान देशों के मध्य एक इंटरफेस प्रदान करता है।
- भारत ASEAN, ARF, EAS, BIMSTEC, ACD, MCG और IORA जैसे संबंधित क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों के साथ साझेदारी बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है।

1.8. भारत-जापान

(India-Japan)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES), भारतीय गणराज्य और JAMSTEC (The Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) के मध्य समुद्री और भूविज्ञान प्रौद्योगिकी विषय पर MoUs।

लाभ

- पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में मानव कल्याण और शांति हेतु उच्च शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
- वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान क्षेत्र एवं ओशन टेक्नोलॉजी ऑब्जरवेशन (ocean technology observation) क्षमता में वृद्धि होगी एवं सुनामी, भूकंप तथा अन्य आपदाओं की दशा में खतरे के शमन में सहायता मिलेगी।
- समुद्री संसाधनों के बेहतर अन्वेषण और अनुसंधान से "ब्लू इकॉनोमी" को प्रोत्साहन मिलेगा।
- भारतीय वैज्ञानिकों को आपसी अनुभव के आदान-प्रदान से अति-आवश्यक एक्सपोजर (exposure) मिलेगा।

1.9. भारत और दक्षिण कोरिया (india and south Korea)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सर्टिफिकेट की परस्पर मान्यता पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- यह इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ़ ट्रेनिंग ,सर्टिफिकेशन एंड वाचकीपिंग फॉर सीफ़ेरर्स (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping-STCW) के रेगुलेशन 1/10 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
- यह समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, योग्यता प्रमाण पत्र, विज्ञापन, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा नाविकों हेतु अन्य देश की सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की मान्यता (recognition) हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह दोनों देशों के बीच नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्रबंधन में सहयोग सुसाध्य बनाएगा।

1.10. भारत-ताइवान

(India-Taiwan)

सुर्खियों में क्यों?

तीन सदस्यीय ताइवान संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में ताइवान का प्रतिनिधित्व "ताइपे इकॉनोमिक एंड कल्चरल सेंटर (Taipei Economic and Cultural Centre)" द्वारा किया जाता है, और ताइवान में भारत का प्रतिनिधि संस्थान "इंडिया ताइपे एसोसिएशन (India-Taipei Association)" है।

संबंधों के पूर्ण विकास में बाधा (Obstacle in full development of relations)

- "वन चाइना पॉलिसी" के कारण ताइवान के अभी भी भारत और अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं हैं।
- दशकों से भारत "वन चाइना पॉलिसी" को मानता रहा है और ताइपे के साथ आधिकारिक स्तर के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाता है।
- चीन ने भारत द्वारा एक ताइवानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने पर विरोध जताया है और ताइवान से संबंधित मामलों में "विवेकपूर्ण ढंग से" व्यवहार करने को कहा है।
- चीन यह कहता रहा है कि जिन देशों के साथ इसके कूटनीतिक संबंध हैं, उन्हें 'वन चाइना' नीति का पालन करना चाहिए।

ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी (New Southbound Policy of Taiwan)

- ताइवान की नई सरकार के तहत राष्ट्रपति साइ इंग वेन ने "न्यू साउथबाउंड पॉलिसी" आरम्भ की है जिसका लक्ष्य आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के साथ ताइवान के संबंधों को गति प्रदान करना है।

1.11. पश्चिम एशिया-(West Asia)

1.11.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात

(India-UAE)

सुर्खियों में क्यों?

- अबू धाबी के युवराज (क्राउन प्रिंस) और सशस्त्र बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।

भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात का महत्व

- ऊर्जा सुरक्षा: संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates:UAE) का भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। UAE 2015-16 में भारत में कच्चे तेल का पांचवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश था।
 - महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार: पिछले वर्ष UAE, 50 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार रहा। स्मार्ट शहर और रियल एस्टेट आदि कई क्षेत्रों में इसने 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
 - भारतीय समुदाय का कल्याण और सुरक्षा:
- ✓ UAE में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतियों का है। इनकी कुल जनसंख्या 2.6 मिलियन है जोकि वहाँ कुल जनसंख्या के लगभग 30 % के बराबर है।

✓ भारत अपने कुल

विप्रेषण(remittances) का लगभग

52% खाड़ी प्रवासियों से प्राप्त करता है।

- कट्टरता का मुकाबला करने के लिए: संयुक्त अरब अमीरात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) का सदस्य है - खाड़ी क्षेत्र में संबंधों को स्थिर बनाए रखने और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए निकट सहयोग आवश्यक है।
 - पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए:
- ✓ 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, UAE ने अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।
- ✓ UAE यात्रा का अप्रत्यक्ष महत्व संयुक्त अरब अमीरात में "पाकिस्तान का प्रभुत्व खत्म करना" है।

गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल : (Gulf Cooperation Council)

- यह इराक के अलावा, फारस की खाड़ी के सभी अरब राज्यों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- इसके सदस्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
- 25 मार्च 1981 को GCC के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया और औपचारिक रूप से इस संस्थान की स्थापना की गई।

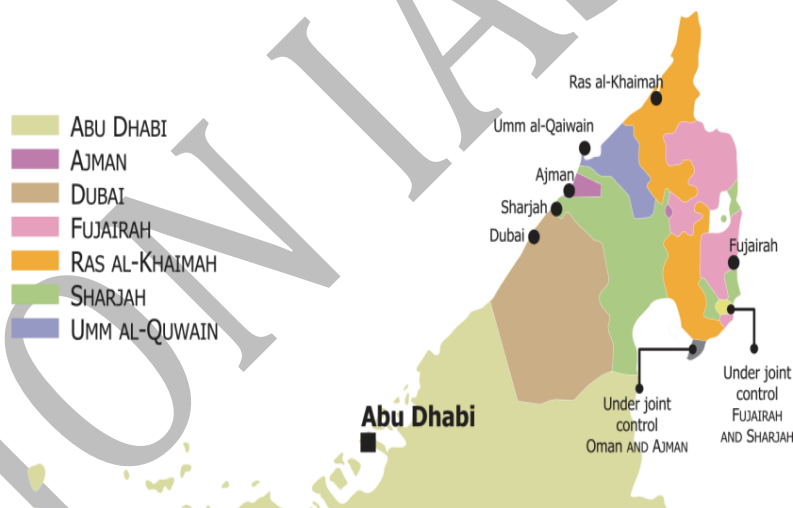
1.11.2. भारत-कतर

(India-Qatar)

भारत और कतर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष यात्रा की।

भारत के लिए कतर का महत्व :

- ऊर्जा सुरक्षा: कतर भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यह 2015-16 में कुल आयत का 66% था।
- महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार: 2014-15 में द्विपक्षीय व्यापार 15.67 बिलियन डॉलर था जिसमें भारत का निर्यात केवल 1 अरब डॉलर था।



- भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण: क़तर में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय के रूप में भारतियों की संख्या हैं। 630,000 से भी अधिक प्रवासी भारतीय क़तर में रह रहे हैं।

1.11.3. भारत और ईरान

(India and Iran)

- प्रधानमंत्री ने ईरान की पहली आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापारिक, बंदरगाह विकास, संस्कृति, विज्ञान, और शैक्षणिक सहयोग जैसे 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- चाबहार बंदरगाह समझौता
- भारत और ईरान के द्वारा ऐतिहासिक चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य-एशिया और यूरोप के संदर्भ में प्रवेश द्वार के समान है।
- समझौते के अंतर्गत दो टर्मिनलों और पांच बर्थ के विकास और संचालन के लिए 10 वर्षों का एक समझौता किया गया।
- 500 मिलियन डालर की क्रेडिट लाइन उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही इस्पात रेल और बंदरगाह के कार्यान्वयन हेतु 3,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- चाबहार-जेदान (Zahedan) रेलवे लाइन के विकास के लिए 1.6 अरब डालर का वित्तीयन उपलब्ध कराने के साथ ही भारतीय रेल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में MoU करार संपन्न किया गया। ज्ञात हो कि कि चाबहार- जेदान (Zahedan) रेलवे लाइन भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट और ट्रेड कॉरिडोर से संबंधित त्रिपक्षीय समझौते का भी हिस्सा है।
- भारत चाबहार फ्री ट्रेड जोन में यूरिया संयंत्रों से लेकर एल्यूमीनियम उद्योग जैसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में निवेश करेगा।



बंदरगाह का आर्थिक महत्व (Economic significance of Port)

- एक बार चाबहार बंदरगाह विकसित हो जाने के पश्चात् भारतीय जहाजों की ईरानी तट तक सीधी पहुँच हो जाएगी। अफगान सीमावर्ती शहर जरांज तक एक रेल लाइन भारत को पाकिस्तान के चारों ओर मार्ग प्रदान करेगी।
- वर्ष 2009 में भारत के द्वारा विकसित की गयी जरांज-डेलाराम सड़क के माध्यम से भारत गारलैंड हाईवे से जुड़ सकता है। गारलैंड हाईवे से भारत की संबद्धता भारत को अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ तक पहुँच प्रदान करेगी।
- इस परियोजना के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान तक केवल माल भेजना आसान हो जायेगा। इसके साथ ही मध्य-एशिया के लिए भविष्य में विकसित किये जाने वाले इंटरनेशनल नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के साथ संबद्धता भी संभव हो पायेगी।

इंटरनेशनल नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क कॉरिडोर है।

- इसकी स्थापना वर्ष 2000 में ईरान, रूस और भारत द्वारा की गयी थी।
- यह कॉरिडोर जहां हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर को जोड़ेगा। वहीं यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से उत्तरी यूरोप को जोड़ता है।
- इसमें ग्यारह नए सदस्यों, अर्थात् अज़रबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया (ऑब्जर्वर) को शामिल करने के द्वारा विस्तारित किया गया है।

त्रिपक्षीय व्यापार संधि (The trilateral trade treaty)

- भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने इस बंदरगाह के विकास के लिए त्रिपक्षीय व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए।
- इसमें त्रिपक्षीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दक्षिण और मध्य-एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। यही कारण है कि इस समझौते को 'गेम चेंजर' के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।

1.12. भारत-अफ्रीका

(India-Africa)

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हाल ही में तीन अफ्रीकी देशों का दौरा किया गया- घाना, कोट डी आइवर (आइवरी कोस्ट) और नामीबिया।

1.12.1 भारत- आइवरी कोस्ट

(India-Ivory Coast)

यात्रा के मुख्य बिंदु

- राष्ट्रपति मुखर्जी को आइवरी कोस्ट के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस नेशनल ऑर्डर से सम्मानित किया गया।
- आबिदजान में एक्विजि बैंक के मुख्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- आइवरी कोस्ट, विश्व का सबसे बड़ा कोको उत्पादक है। इसने व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विशेष रूप से चॉकलेट के मुख्य घटक के प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की मांग की है।
- यह भारत के लिए काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत इसके कुल काजू निर्यात का लगभग 80% खरीदता है।

1.12.2. भारत-घाना

(India-Ghana)

समझौतों / समझौता ज्ञापनों की सूची

- राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर समझौता।
- एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।
- ✓ यह आयोग समय समय पर बहु-आयामी संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगा।
- ✓ फॉरेन सर्विस इंस्टिट्यूट (भारत) और विदेश मंत्रालय (घाना) के बीच समझौता ज्ञापन।

व्यापार संबंध

- घाना में भारत का कुल निवेश लगभग 1 अरब डॉलर है। 2015-16 में द्विपक्षीय व्यापार 3 अरब डॉलर का रहा।
- घाना के व्यापार में मुख्यतः स्वर्ण का आयात शामिल है। यह कुल व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत है।

1.12.3 भारत-नामीबिया

(India-Namibia)

परमाणु सहयोग

- नामीबिया ने 2009 में भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
- भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, अतः अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी (ANWFZT) का सदस्य होने के कारण यह भारत के साथ यूरेनियम व्यापार नहीं कर सकता है।
- नामीबिया यूरेनियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- नामीबिया ने नई दिल्ली से यह कहा है कि अन्य देशों के साथ इसी तरह के समझौते करे जिससे यह ANWFZT सदस्यों को मनाने में सफल हो सके।

अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि (African Nuclear Weapon-Free Zone Treaty, ANWFZT)

- ANWFZT, पेलिन्दाबा (Pelindaba) की संधि के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम दक्षिण अफ्रीका के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम पर है।
- यह वह स्थान है जहाँ दक्षिण अफ्रीका के 1970 के दशक के परमाणु बम विकसित, निर्मित एवं बाद में रखे गए थे।

- पेलिन्दाबा संधि परमाणु प्रसार को रोकने और अफ्रीका के सामरिक खनिजों के मुक्त निर्यात को रोकने के उद्देश्य से 1996 में बनायीं गई थी।

1.12.4. भारत-मिस्र

(India-Egypt)

सुर्खियों में क्यों?

- मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के परिणाम:

व्यापार और निवेश

- भारत और मिस्र ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने का संकल्प लिया है। दोनों देशों के बीच के व्यापार को वर्तमान के 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर निकट भविष्य में 8 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- लगभग 89 लाख उपभोक्ताओं के साथ 286 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला मिस्र अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार मिस्र में एक आर्थिक भागीदार बनने की व्यापक क्षमता है।
- राष्ट्रपति अल-सीसी ने स्वेज कैनल इकॉनोमिक जोन में भारतीय भागीदारी को आमंत्रित किया है। इसमें विशेष रूप से पेट्रो-रसायन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और IT जैसे क्षेत्र शामिल हैं।



समुद्री परिवहन पर करार:

भारत और मिस्र ने समुद्री परिवहन से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से न केवल समुद्री वाणिज्य के मामले में बल्कि नौसेना के जहाजों के समुद्र मार्ग में सहयोग को आगे बढ़ाने के मामले में भी दोनों देशों को मदद मिलेगी।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
- दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि एक विशेष, 'इंडिया बाई द नील फेस्टिवल' ("India by the Nile Festival") नामक आयोजन भारतीय स्वतंत्रता की 70 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2017 में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने 2017 में "इजिप्ट बाई द गंगा फेस्टिवल" ("Egypt by the Ganga Festival") के उद्घाटन के प्रस्ताव का स्वागत किया।

1.12.5. उपराष्ट्रपति की उत्तर अफ्रीकी देशों की यात्रा

(Vice President Visit to North African Nations)

उपराष्ट्रपति ने उत्तर अफ्रीकी देशों मोरक्को और ट्यूनीशिया की आधिकारिक यात्रा की।

A. भारत-मोरक्को (India-Morocco)

भारत और मोरक्को ने संस्कृति और कूटनीति सम्बन्धी दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से संगीत, कला और अभिलेखागार, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना।

- राजनयिकों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए, संचार और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ाना।

व्यापारिक संबंध

- उपराष्ट्रपति और मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्देलिलह बेन्किराने द्वारा इंडिया-मोरक्को चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (IMCCI) का उदघाटन किया गया।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.26 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। इसमें लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा भारतीय निर्यात का है।

B. भारत-ट्यूनीशिया (India-Tunisia)

यात्रा के मुख्य बिन्दु

- हस्तशिल्प, IT एवं संचार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत अगले पांच साल में 350 ट्यूनीशियाई छात्रों को प्रशिक्षित करेगा और दोनों पक्ष समझौते के अनुसार एक दूसरे की पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देंगे।
- पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार 340 मिलियन अमरीकी डालर से थोड़ा अधिक था। भारत ट्यूनीशिया के कुल फॉस्फोरिक एसिड निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत आयात करता है।
- ट्यूनीशिया एक्सपेंडेड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का समर्थन करता है।
- ट्यूनीशिया 'अरब स्प्रिंग का उद्गम' स्थल है। यह प्रसिद्ध विद्रोहों की श्रृंखला में बदला गया और जिसने 2011 में पूरे अरब जगत को बदलकर रख दिया। ट्यूनीशिया की जैस्मीन क्रांति अरब स्प्रिंग के लिए ट्रिगर के सामान थी।

1.12.6. भारत- पूर्वी अफ्रीका

(India-East Africa)

सुर्खियों में क्यों?

पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उपराष्ट्रपति ने रवांडा और युगांडा की आधिकारिक यात्रा की। यह उपराष्ट्रपति द्वारा रवांडा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा और 1997 के बाद भारत से युगांडा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।

A. भारत-रवांडा(India-Rwanda)

- भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को सक्षम बनाने वाला द्विपक्षीय वायुसेवा समझौता किया है।
- अन्य दो समझौता ज्ञापन (MoUs) रवांडा में एक उद्यमी विकास केंद्र की स्थापना और राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्टों के प्रवेश के लिए वीजा छूट से संबंधित है।
- उपराष्ट्रपति ने किगाली नरसंहार संग्रहालय में 1994 के नरसंहार के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।



रवांडा में तुत्सी नरसंहार के बारे में - 1994 में सिर्फ 100 दिनों में, रवांडा में नस्लभेदी हुतू अतिवादियों(extremists) द्वारा 800,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वे अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के सदस्यों के साथ ही उनके राजनीतिक विरोधियों निशाना बनाते थे। भले ही वह किसी भी जनजातीय समूह के हों।

B. भारत-युगांडा (India-Uganda)

दोनों पक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करने पर सहमत हुए।

- सद्भावना प्रदर्शन के रूप में उपराष्ट्रपति ने युगांडा को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाएं और 1 मिलियन डॉलर के चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए।
- भारत युगांडा में कुछ विकास परियोजनाओं की सहायता करता है। इसमें राष्ट्रीय रेफरल अस्पताल में टेली-मेडिकल सेंटर शामिल है। ये भारत के 11 अस्पतालों से जुड़े हैं।
- भारत युगांडा के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों के मध्य अनुमानित द्विपक्षीय व्यापार लगभग 615 मिलियन अमरीकी डॉलर का है।
- वर्तमान में, युगांडा में 30,000 लोगों का सशक्त भारतीय समुदाय है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय निवेश किया है।

1.12.7. प्रधानमंत्री की चार अफ्रीकी देशों की यात्रा

(PM Four Nation Visit)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या की ऐतिहासिक यात्रा की। इस यात्रा का केंद्रबिंदु हाइड्रोकार्बन, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि और खाद्य के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाना था।

A. भारत-मोजाम्बिक (India-Mozambique)

यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:-

- दवाओं की मांग में कमी और मादक दवाओं, मादक पदार्थों और पूर्ववर्ती रसायनों (precursor chemicals) और संबंधित सामग्री के अवैध व्यापार के रोकथाम पर समझौता ज्ञापन।
- मोजाम्बिक से दाल की खरीद के लिए दीर्घकालीन करार।
- पिछले कुछ वर्षों में गैस अन्वेषणों के परिणामस्वरूप ऊर्जा वार्ताओं की शुरुआत हुयी है।
- भारत मोजाम्बिक के सुरक्षा बलों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।

B. भारत-दक्षिण अफ्रीका (India-South africa)

भारत और दक्षिण अफ्रीका रक्षा उत्पादन, विनिर्माण, खनन और खनिज के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए। इसके साथ ही आतंकवाद का मुकाबला करने और बहुपक्षीय मंचों पर मुद्दों से निपटने में "सक्रिय" सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दिखायी गयी।

यात्रा का मुख्य आकर्षण

- **मेक इन इंडिया के लिए अभियान:** प्रधानमंत्री ने रक्षा उद्यमियों को भारत में एक विनिर्माण आधार (manufacturing base) स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।
- प्रधानमंत्री ने 1893 की घटना की स्मृति में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन से ट्रेन यात्रा की। इसी स्टेशन पर महात्मा गांधी को नस्लभेद के रंग के कारण ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था।

C. भारत-तंजानिया

भारत और तंजानिया आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु सहमत हुए।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों/समझौतों की सूची:-

- जल संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन।
- नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया (NSIC) और स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तंजानिया (SIDO) के बीच जॉइंट एक्शन प्लान (JAP) पर समझौता।

'Solar Mamas'

'सौर माँ' (Solar Mamas) यह अफ्रीका के ग्रामीण महिलाओं सौर इंजीनियरों का एक समूह है। भारत सरकार के समर्थन से कार्यक्रम के तहत गांवों में सौर लालटेन और घरेलू सौर प्रकाश प्रणाली का निर्माण किया जाता है। साथ ही उन्हें स्थापित करने, उपयोग, मरम्मत और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अफ्रीका में भारत की पहुँच (India's outreach to Africa)

भारत तेजी से उभरते अफ्रीकी सामरिक परिदृश्य में महत्व प्राप्त करने के लिए नए सिरे से पूरी कोशिश कर रहा है।

- पिछले कुछ दशकों से भारत ने अपना ध्यान इस महाद्वीप में क्षमता निर्माण पर केन्द्रित किया है। **इंडियन टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (ITEC) कार्यक्रम** के तहत 1 मिलियन डॉलर से अधिक का सहयोग दिया गया है। साथ ही तकनीकी सहायता और कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- भारत अफ्रीकी बुनियादी अवसंरचना के लिए 7.5 बिलियन डॉलर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें 40 से अधिक देशों की 137 परियोजनाएं शामिल हैं।
- इसने अफ्रीका के अल्प विकसित देशों को जूटी फ्री मार्केट की उपलब्धता प्रदान की है। लेकिन भारत का अफ्रीका के साथ व्यापार 72 बिलियन डॉलर के लगभग है जोकि इसकी क्षमता से काफी कम है। ज्ञात हो कि अफ्रीका के साथ चीन का व्यापार 200 बिलियन डॉलर का है।

ITEC के बारे में

- **दि इंडियन टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (ITEC) कार्यक्रम** 15 सितंबर 1964 को स्थापित किया गया था। ITEC और इसके सहयोगी कार्यक्रमों **SCAAP (स्पेशल कामनवेल्थ असिस्टेंस फॉर अफ्रीका प्रोग्राम)**, तथा **टेक्निकल कोऑपरेशन स्कीम ऑफ कोलम्बो प्लान** के अंतर्गत 160 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जाता है। ये सभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले छह दशकों में भारत द्वारा हासिल किये गए विकास के अनुभव को साझा करते हैं।
- ITEC कार्यक्रम के कई घटक हैं। भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन के अतिरिक्त, इसमें विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, आपदा राहत, उपकरणों की भेंट (gifting of equipment), स्टडी टूर (study tours) और व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility studies) / परामर्श सेवाएं भी शामिल हैं।
- ITEC एक मांग आधारित कार्यक्रम है। अतः ITEC के तहत दी जाने वाली सहायता आमतौर पर मैत्रीपूर्ण देशों से प्राप्त अनुरोधों और भारत के राजनैतिक नेतृत्व द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप होती है।

समुद्री सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने, इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (IORA) के भाग के रूप में समुद्री संबंधों को मजबूत बनाने की बात की। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर के द्वीपों तक पहुँच के लिए भारत की **“सागर-माला”** परियोजना की दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रारंभ “ऑपरेशन फाकिसा (Phakisa)” से तुलना की। साथ ही ऑपरेशन फाकिसा (Phakisa) ब्लू इकॉनॉमी और ओसियन गवर्नेंस में अफ्रीका की संयुक्त शक्ति पर भी फोकस करता है।

1.12.8. भारत-केन्या

(India-Kenya)

सुर्खियों में क्यों?

केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति श्री उहुरु केन्याटा ने भारत का राजकीय दौरा किया।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- भारत ने केन्या में कृषि यंत्रीकरण हेतु 100 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने के लिए केन्या को आमंत्रित किया।
- प्रधान मंत्री की केन्या यात्रा के दौरान, केन्या में विभिन्न छोटे और मध्यम उद्यमों [SMEs] के विकास के लिए केन्या की IDB कैपिटल लिमिटेड, के साथ 15 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाइन ऑफ़ क्रेडिट समझौता किया गया।
- केन्या और ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी (EAC) में निवेश एवं व्यापार क्षमता: द्विपक्षीय व्यापार का वर्ष 2014-15 में मूल्य 4.23 बिलियन डॉलर था। यदि भारतीय कंपनियाँ इच्छा दिखाएँ तो इसमें तेजी से विकास करने की क्षमता है।

पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC)

- EAC जिसमें केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और दक्षिण सूडान शामिल हैं, अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों में सबसे सफल समुदायों में से एक के रूप में उभरा है।
- एक सीमा शुल्क संघ की स्थापना करने के बाद, इसका उद्देश्य एक एकल बाजार का निर्माण तथा एक मौद्रिक संघ की स्थापना करना है।
- EAC 168 मिलियन उपभोक्ताओं का बाजार है। इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 161 बिलियन डॉलर का है।

1.13. भारत-अमेरिका

(India-USA)

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की चौथी आधिकारिक यात्रा की।

संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य	अमेरिका को क्या प्राप्त हुआ?	भारत को क्या प्राप्त हुआ?
जलवायु और ऊर्जा	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुबई पाथ वे का अनुसरण करते हुए "एक महत्वाकांक्षी चरणबद्ध अनुसूची के साथ", वर्ष 2016 में HFC संशोधन की दिशा में कार्य।	अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायन्स की सदस्यता प्राप्त करना चाहेगा।
	इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (International Civil Aviation Organization Assembly) में वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस पर बातचीत के रूप में एक "सफल परिणाम" तक पहुँचना।	छ: AP1000 रिएक्टरों का वेस्टिंगहाउस द्वारा निर्माण किया जाएगा। भारत और अमेरिका निर्यात-आयात बैंक(exim bank) परियोजना के लिए एक प्रतिस्पर्धी वित्तीय पैकेज हेतु एक साथ काम करेंगे।
	दोनों देशों द्वारा समान रूप से समर्थित एक 20 मिलियन डॉलर की "US- इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस"(USICEF) पहल की घोषणा।	
	दोनों देशों द्वारा समान रूप से समर्थित 40 मिलियन डॉलर वाले US-इण्डिया कैटेलेटिक सोलर फाइनेंस कार्यक्रम की घोषणा।	
निर्यात नियंत्रण और रक्षा सहयोग	अमेरिका भारत को "प्रमुख रक्षा साझेदार" में से एक के रूप में नामित करेगा।	अमेरिका ने NSG, MTCR, आस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था में भारत की सदस्यता का समर्थन। अमेरिका द्वारा तकनीक साझा करने हेतु भारत को भी उसके करीबी सहयोगियों के समान स्तर पर रखा जाएगा। इस से US की 99 प्रतिशत नवीनतम रक्षा तकनीकों तक भारत की पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी। भारत द्वारा अपने निर्यात नियंत्रण उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से उठाये गये कदमों के साथ उसे दोहरे उपयोग वाली लाइसेंस मुक्त तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त होगी। भारत की मेक इन इंडिया पहल को समर्थन एवं सुदृढ़ रक्षा उद्योगों का विकास और उनका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण। पिछले एक दशक में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग नगण्य से शुरू होकर 14 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है। भारत के प्रमुख रक्षा आधुनिकीकरण अभियान को देखते हुए

	लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता जापान के लिखित स्वरूप को "अंतिम रूप" दिया गया।	इसके कई गुना बढ़ने के आसार हैं। अमेरिका ने भारत द्वारा 2018 में कोउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेररिज्म पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
	एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अमेरिका व भारत के बीच का संयुक्त सामरिक दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा।	भारत अमेरिकी कानून के अनुरूप "डुअल यूज टेक्नोलॉजी" की विस्तृत शृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुँच प्राप्त करेगा।
		भू-प्रेक्षण उपग्रह आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए समझौता जापान को "अंतिम रूप" दिया गया।
साइबर	सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक "प्रतिबद्धता"।	साइबर अपराध से निपटने के लिए एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग।
	भारत ICT के माध्यम से बौद्धिक संपदा सहित ट्रेड सीक्रेट या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अन्य गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की चोरी के खिलाफ मानकों का समर्थन करता है।	अमेरिका भारत में "महत्वपूर्ण इंटरनेट अवसंरचना" को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
	साइबर सुरक्षा मानकों और सुरक्षा के परीक्षण पर अधिक से अधिक सहयोग।	अपने क्षेत्र से चलाई जा रही दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि निपटने के लिए मानक तय करना।
आतंकवाद का मुकाबला		अमेरिका द्वारा "2008 के मुंबई हमले और [पहली बार] 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमलों" के दोषी व्यक्तियों को सजा देने संबंधी पाकिस्तान की जिम्मेदारी को स्वीकारा गया।
		अमेरिका ने UN कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म(UNCCIT) के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
व्यापार	बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों पर ठोस प्रगति की दिशा में काम करना। साथ ही दोनों देशों में "ट्राइवर्स ऑफ़ इनोवेशन" के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।	
	अफ्रीकी भागीदारों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग की पुनः पुष्टि की, इसमें "कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं"।	

1.13.1. भारत-अमेरिकी वीजा विवाद

(India-US Visa dispute)

- मार्च 2016 में भारत ने अमेरिका द्वारा L-1 तथा H-1B वीजा श्रेणियों के कुछ आवेदकों पर बड़ी हुई फीस थोपने के कदम के विरुद्ध, WTO की विवाद निपटान इकाई (dispute settlement body) अपील की।
- भारत ने कहा है कि यह कदम भारतीय IT पेशेवरों को प्रभावित करेगा।
- भारत ने आरोप लगाया है कि अमेरिका वस्तुतः जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) के साथ-साथ नेचुरल पर्सन्स सप्लाईंग सर्विसेज (NPSS) के आवागमन से सम्बंधित GATS के प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह (अमेरिका) अमेरिकी अथवा गैर-अमेरिकी सेवा प्रदाताओं के खिलाफ या उनके मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।

GATS के बारे में

- दि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समाहित करने वाला पहला बहुपक्षीय समझौता है। यह 1995 में लागू हुआ था तथा यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तत्वावधान में इससे वार्ताएं चली थीं।
- GATS समझौते में सीमा-पार व्यापार में सेवाओं की डिलीवरी हेतु आपूर्ति के चार प्रकार सम्मिलित हैं:

मॉड (Modes)	मानदंड (Criteria)	आपूर्तिकर्ता की उपस्थिति (Supplier Presence)
मॉड 1: सीमा पार आपूर्ति	एक सदस्य के क्षेत्र से, किसी अन्य सदस्य के क्षेत्र में वितरित सेवा	सेवा प्रदाता सदस्य के क्षेत्र में उपस्थित नहीं है
मॉड 2: बाहरी उपभोग	सदस्य राष्ट्र की सीमा से बाहर जा कर प्रदान की गयी सेवाएँ, दूसरे सदस्य राष्ट्रों की सीमा में जाकर प्रदान की गयी सेवाएँ, सदस्य राष्ट्रों के उपभोक्ताओं को प्रदान की गयी सेवाएँ	
मॉड 3: व्यावसायिक उपस्थिति	सप्लायर की व्यावसायिक उपस्थिति के माध्यम से, सदस्य के क्षेत्र में वितरित सेवा	सदस्य के क्षेत्र में उपस्थित सेवा आपूर्तिकर्ता
मॉड 4: नेचुरल पर्सन (natural person) की उपस्थिति	एक नेचुरल पर्सन के रूप में उपस्थित आपूर्तिकर्ता के साथ सदस्य के क्षेत्र में वितरित सेवा	

1.13.2. रक्षा सहयोग

(Defence cooperation)

भारत और अमेरिका ने उन विनिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है जिसके अनुसार भारत को अमेरिका का मेजर डिफेन्स पार्टनर घोषित किया जायेगा।

- 'मेजर डिफेन्स पार्टनर' की अवधारणा, अमेरिका द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत के साथ निकटतम सहयोगी एवं भागीदार के रूप में व्यवहार करने पर आधारित है।
- जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत को यह दर्जा प्रदान किया गया था।
- दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में रक्षा संबंधों में प्रगति की समीक्षा की, और हथियार प्रणालियों एवं प्लेटफार्म के सह-विकास और सह-उत्पादन हेतु अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गयी रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव: DTTI) के तहत की गयी प्रगति का स्वागत किया।

विगत दो वर्षों में, कुछ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

- 2015 में रक्षा फ्रेमवर्क समझौता जो रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है
- लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता - लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA)।

लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA)

- यह लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (LSA) का भारत-विनिर्दिष्ट संस्करण है। इसे USA ने अपने करीबी सैन्य सहयोग वाले कई देशों के साथ किया है।

यह अमेरिका द्वारा उल्लिखित तीन मूलभूत समझौतों में से एक है -

- लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (Logistics Support Agreement-LSA)
- कम्युनिकेशंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement-CISMOA)
- बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो-स्पेशियल कोऑपरेशन (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation-BECA)

- LEMOA ईंधन भरने और पुनःपूर्ति के उद्देश्य हेतु दोनों पक्षों को दोनों ओर से निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं के लिए पहुंच प्रदान करता है।
- समझौता मुख्य रूप से चार क्षेत्रों को कवर करेगा - पोर्ट कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत।

1.13.3. तीसरी दुनिया के देशों (THIRD WORLD COUNTRIES) के लिए सहयोग

(Cooperation for Third World Countries)

- भारत और अमेरिका ने विकास गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग करने और तीसरी दुनिया के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन(MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौता ज्ञापन पर मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन (Millennium Challenge Corporation-MCC) और भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय के डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन (Development Partnership Administration-DPA) के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन (MCC):

MCC एक US एजेंसी है जो सतत आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए उपयुक्त देशों को उनके नेतृत्व में अनुदान उपलब्ध कराता है।

डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन (Development Partnership Administration-DPA) :

- DPA भारत द्वारा विश्व के विकासशील देशों के साथ प्रारंभ की गई विकास साझेदारी परियोजनाओं की देखरेख करता है।

1.14. भारत-रूस संबंध

(India-Russia relations)

सुखियों में क्यों?

- रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच 17वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए भारत का दौरा किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" (special and privileged strategic partnership) पर बल देते हुए कहा कि "दो नए दोस्तों से बेहतर एक पुराना दोस्त है।"

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की गई। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध सीमा पार गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 'सूचना सुरक्षा' पर एक समझौता हुआ।
- रक्षा क्षेत्र- रूस के सबसे उन्नत S-400 'Triumf' मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली को खरीदने, कामोव-226T यूटिलिटी हेलीकाप्टरों का निर्माण करने और चार Krivak या तलवार क्लास स्टील्थ के लिए समझौता हुआ।
- क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार: इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के कार्यान्वयन पर बल दिया गया।
- बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी: रसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फण्ड (RDIF), भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (NIIF) के तहत एक उप फंड में निवेश करेगा।
- परमाणु विद्युत परियोजना: मोदी और पुतिन दोनों ने संयुक्त रूप से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई (यूनिट 5 और 6) के परिचालन की घोषणा की।
- रूस का भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश- रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स ने 10.9 बिलियन डॉलर में एस्सार एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड की रिफाइनिंग और खुदरा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह भारत में रूस का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

1.15. भारत-यूक्रेन

(India-Ukraine)

सुर्खियों में क्यों?

यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री श्री स्टेपन कुबीव (Stepan Kubiv) ने भारत का दौरा किया। यूक्रेन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस के दावे का समर्थन नहीं करने के लिए भारत की सराहना करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना में सहयोग की इच्छा प्रकट की।

पृष्ठभूमि

- क्रीमिया में हस्तक्षेप के बाद, रूस ने मार्च 2014 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि, भारत का इस सम्बन्ध में विचार था कि स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।
- भारत और यूक्रेन उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता को पुनर्जीवित करने की राह में भी कार्य कर रहे हैं। भारत की ओर से पिछली बड़ी यात्रा 12 साल पहले हुई थी जब राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 2005 में कीव का दौरा किया था।
- **रक्षा सहयोग:** यूक्रेन 2009 में हस्ताक्षर किए गए अनुबंध को पूरा करना चाहता है जिसके अंतर्गत भारतीय वायु सेना AN-32 फ्लीट का आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार सम्मिलित है।

1.16. भारत-साइप्रस

(India-Cyprus)

भारत सरकार ने भूमध्य सागरीय द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस के माध्यम से निवेश करने वाले निवेशकों को राहत प्रदान करते हुए इस देश को काली सूची में डालने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

- यह कदम, डबल टैक्स अवोइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में परिवर्तन करने के लिए दोनों देशों द्वारा व्यक्त की गयी सहमति के बाद उठाया गया।
- दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित संधि 1 अप्रैल 2017 के बाद साइप्रस-स्थित कंपनी द्वारा किए गए निवेश पर शेयरों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कराधान का अधिकार भारत को प्रदान करती है।
- साइप्रस उन प्रमुख गंतव्यों में से एक है, जिनके माध्यम से यूरोप और अमेरिका स्थित कंपनियों ने, दोनों देशों के बीच हुए समझौते का लाभ उठाते हुए, भारत में निवेश किया था।
- 2015-16 में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में साइप्रस 3.3 बिलियन डॉलर के साथ आठवें पर स्थान पर था।

1.17. भारत-पुर्तगाल

(India-Portugal)

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने जनवरी में एक राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया। उन्होंने बेंगलुरु में मुख्य अतिथि के रूप में 14 वें प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया।

रक्षा समझौते

- समुद्री क्षेत्र और रक्षा उद्योग समेत सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना।
- प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' और संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आधार पर वाणिज्यिक साझेदारी के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु पुर्तगाली कंपनियों को आमंत्रित किया।

अक्षय ऊर्जा: पवन, सौर और पन-बिजली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा।

स्टार्ट अप: भारत और पुर्तगाल के बीच स्टार्ट अप पर समझौता ज्ञापन तथा स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट-अप पुर्तगाल के बीच नियमित रूप से आदान-प्रदान का आह्वान।

आतंकवाद का मुद्दा

- आतंकवाद का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने **1267 संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति** द्वारा प्रगणित उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया।
- संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने '**जीरो टॉलरेंस**' की भावना के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने हेतु यह रेखांकित किया कि राष्ट्रों को 'गैर-राज्य तत्वों' सहित किसी भी आधार पर किसी भी आतंकी इकाई का समर्थन नहीं करना चाहिए।

1.18. भारत-UK

(India-UK)

सुखियों में क्यों?

- UK की प्रधानमंत्री 'थेरेसा मे' ने व्यापार हेतु नियमित तौर पर UK आने वाले भारतीयों के लिए एक फ्रीक्वेंट रजिस्टर्ड ट्रेवलर स्कीम (frequent registered traveller scheme) प्रस्तुत की।
- UK "कार्य और अध्ययन मार्गों" के माध्यम से होने वाले आब्रजन को सीमित करने की भी योजना बना रहा है जिसका प्रभाव ब्रिटिश कंपनियों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले भारतीयों पर पड़ेगा।

ट्रेवलर स्कीम के बारे में

- इस योजना के तहत अक्सर UK का दौरा करने वाले तथा दोनों देशों के विकास में योगदान देने वाले भारतीय नागरिकों हेतु कम फॉर्म भरे जाने, EU-EEA (यूरोपियन यूनियन- यूरोपियन इकॉनॉमिक एरिया) पासपोर्ट कंट्रोल तक पहुँच, हवाई अड्डों में सुगम आवाजाही सहित 'अत्यधिक आसान' प्रवेश प्रक्रिया होगी।
- इससे दोनों देशों में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा दोनों देशों के मध्य संबंध मजबूत होंगे।

EU-EEA के बारे में

- यूरोपीय संघ (EU) 28 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है। यह एक आंतरिक (या एकल) बाजार संचालित करता है जो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, पूँजी, सेवाओं और लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।
- EEA में EU के देश तथा आइसलैंड, लिचेंस्टीन और नॉर्वे शामिल हैं। यह इन देशों को EU के एकल बाजार का हिस्सा बनने की अनुमति देता है।
- स्विट्जरलैंड न तो EU का सदस्य है और न ही EEA का, परन्तु यह एकल बाजार का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि स्विस् नागरिकों को अन्य EEA नागरिकों के समान UK में रहने और काम करने का अधिकार है।

UK की वर्तमान आब्रजन स्कीम

- UK, विश्व में सर्वाधिक कठोर आब्रजन नीतियों वाले देशों में से एक है।
 - मोटे तौर पर, आप्रवासियों हेतु UK वीजा कानूनों को टियर-1 और टियर-2 स्तरीय प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है।
- टियर 1 उन अत्यधिक सम्मानित प्रवासियों से संबंधित है जो वास्तव में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं।
- टियर 2 में विभिन्न वर्गों के तहत प्रशिक्षित कर्मचारी सम्मिलित हैं।

1.19. कौशल विकास पर भारत और जर्मनी के मध्य समझौता

(India and Germany on Skill development)

- कौशल विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक बढ़ाने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-MSDE) तथा जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन (German International Cooperation-GIZ) के मध्य एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
- इस समझौते के अंतर्गत भारत में चुनिंदा औद्योगिक क्लस्टर में जर्मन डूअल सिस्टम के अनुकूल घटकों को अपनाने पर फोकस करने वाली परियोजनाएँ प्रारम्भ की जायेगी।
- यह परियोजना कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Vocational Education and Training) के क्षेत्र में संयुक्त ज्ञापन समझौता (MoU) के अंतर्गत एक अम्बेला योजना के रूप में लागू की जाएगी।

1.20. भारत और इटली

(India and Italy)

इतालवी मरीन मामला

- UN आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया है कि जब तक इसके द्वारा वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या की कोशिश के मामले पर न्यायिक प्रक्रिया के भारत में चलाये जाने संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक इतालवी मरीन इटली लौट सकता है।
- ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब तक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भारत और इटली के बीच क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय करता है, गिरोने (इतालवी मरीन) इटली लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरोने को रिहा करने हेतु निम्नलिखित शर्तें रखीं:
- इसका मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में बना रहेगा और इसे महीने में एक बार इटली में स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के साथ ही भारतीय दूतावास को अपने बारे में निरंतर सूचित करते रहना होगा।
- **दूत की जिम्मेदारी:** इतालवी राजदूत को भारत में मुकदमे के पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय देने पर एक महीने के भीतर इसकी वापसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

भारत का दृष्टिकोण

भारत द्वारा लगातार इतालवी तर्क को खारिज किया गया है तथा भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने हेतु अपने संप्रभु अधिकार लागू करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी (ITLOS)

जून 2015 में इटली ने हैम्बर्ग में स्थित ITLOS में अपील की।

- ट्रिब्यूनल द्वारा यह मामला भारत या इटली किसके अधिकार क्षेत्र में आता है जैसे सीमित विषय पर ही विचार किया जा रहा है।
- अगस्त 2015 में ITLOS ने निर्णय दिया कि: "इटली और भारत में चल रही सभी न्यायालयी कार्यवाहियों को रोक दिया जाए और कोई नई कार्यवाही प्रारंभ न की जाए। यह संभव है कि इन कार्यवाहियों से विवाद और बढ़ सकता है या विवाद, अनुबंध VII के तहत सुनवाई कर रहे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के निर्णय में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अतः इन परिस्थितियों में निर्णय के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
- ITLOS निर्णय के बाद, दोनों पक्षों में सहमति हुई कि विवाद UNCLOS ट्रिब्यूनल के तहत सुलझा लिया जाएगा।
- 2 मई 2016: UN आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत को इतालवी मरीन सल्वातोरे गिरोने को रिहा करने का आदेश दिया।

- ITLOS को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) के तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अधिदेश द्वारा बनाया गया था। यह एक अंतरसरकारी संगठन है।
- 1982 में मोंटेगो बे (Montego Bay), जमैका में इस पर हस्ताक्षर किया गया था।
- यह ट्रिब्यूनल जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित है।
- ट्रिब्यूनल को पक्षकार देशों के मध्य विवादों का निपटान करने का अधिकार प्राप्त है।

ENGLISH Medium

हिन्दी माध्यम

Specific content targeted towards Mains exam

Complete coverage of current affairs of One Year

Doubt clearing sessions with regular assignments on Current Affairs

Support sessions by faculty on topics like test taking strategy and stress management.

LIVE and ONLINE recorded classes for anytime anywhere access by students.

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

MAINS 365

One year Current Affairs in 75 hours

30

www.visionias.in

©Vision IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय संगठन / संस्थायें

(INTERNATIONAL ORGANIZATIONS/ INSTITUTIONS)

2.1. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन

(Indian Ocean Rim Association :IORA)

2.1.1. MSME सहयोग पर MOU

(MoU on MSME Cooperation)

- MSME मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप प्राप्त **MSME सहयोग पर MoU**, उन सभी देशों पर प्रभावी होगा जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं।
- समझौता ज्ञापन में MSMEs के बीच संपर्क और समझौता (linkages & alliance) को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में MSME की अधिक भागीदारी, युवा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने आदि जैसे क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।
- MoU में इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक विशेष **IORA फंड** का निर्माण किया गया है।
- मॉरीशस में स्थित IORA सचिवालय MoU के कार्यान्वयन हेतु एक समन्वय एजेंसी का कार्य करेगा।

2.1.2. आंतरिक मामलों के मंत्रियों (गृह मंत्रियों) की उच्च -स्तरीय बैठक

(High Level Meeting of Interior Ministers)

- कोलम्बो में आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के **18 समुद्र तटीय देशों** की उच्च स्तरीय बैठक में कोलंबो घोषणा पत्र को अपनाया गया।
- प्रतिनिधियों ने हिंद महासागर को **"ड्रग फ्री जोन"** बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया।

कोलंबो घोषणा पत्र के बारे में

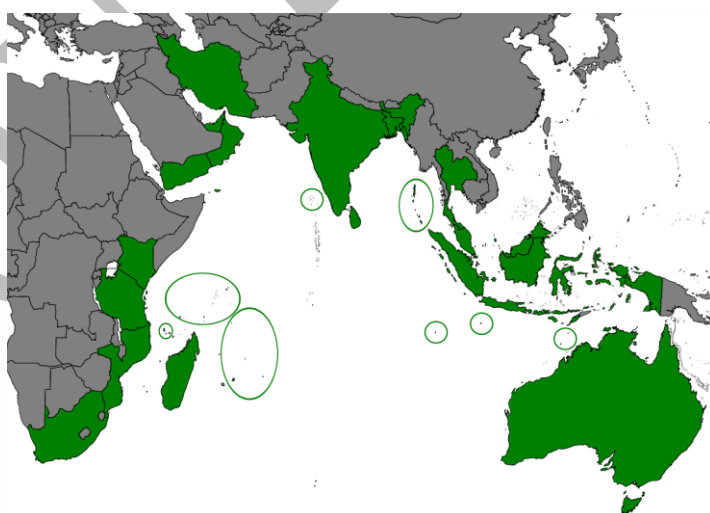
- कोलंबो घोषणा पत्र समुद्री कानूनों को लागू करने, सूचना साझा करने और पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तटीय देशों के अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है।
- यह यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम

(United Nations Office on Drugs and

Crime-UNODC's) और इंडियन ओशन प्रॉसीक्यूटर नेटवर्क (Indian Ocean Prosecutors Network) के माध्यम से सूचना के प्रसार और विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

IORA के बारे में

- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association-IORA) को पहले इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन (Indian Ocean Rim Initiative and Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation: IOR-ARC) के नाम से जाना जाता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र सम्मिलित हैं।
- यह आर्थिक सहयोग को मजबूत करने हेतु मुक्त क्षेत्रीय सिद्धांतों (Open Regionalism for strengthening Economic Cooperation) पर आधारित है। इसमें विशेष रूप से व्यापार सुविधा और निवेश प्रोत्साहन एवं क्षेत्र के सामाजिक विकास पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य किया जाता है।



IORA में शामिल देश :

ऑस्ट्रेलिया	ईरान	मोजाम्बिक	दक्षिण अफ्रीका	संयुक्त अरब अमीरात
बांग्लादेश	मेडागास्कर	ओमान	श्री लंका	इंडोनेशिया
कोमोरोस	मलेशिया	सेशेल्स	तंजानिया	केन्या
भारत	मॉरीशस	सिंगापुर	थाईलैंड	यमन

2.2. IMF सुधार

(IMF Reforms)

सुखियों में क्यों?

- वर्ष 2010 में IMF द्वारा स्वीकृत सुधारों को 27 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
- अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना इन सुधारों का कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाया था, परंतु पिछले वर्ष इसे (अमेरिकी कांग्रेस द्वारा) मंजूरी प्रदान कर दी गयी थी।

मताधिकार:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की शासन संरचना में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव में अधिक वृद्धि हुई है।
- इन सुधारों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के हिस्से से 6 प्रतिशत से अधिक कोटा उभरते और विकासशील देशों को प्राप्त होगा।
- नए प्रावधानों के तहत भारत का मताधिकार वर्तमान 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत और चीन का 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है।
- इन सुधारों के कारण यू.एस., जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के शीर्ष 10 सदस्यों की सूची में भारत और ब्राजील भी शामिल हो गए हैं।

IMF की वित्तीय क्षमता में वृद्धि:

- इन सुधारों ने IMF के स्थायी पूंजी संसाधनों को दुगुना कर इसे 477 बिलियन SDR (विशेष आहरण अधिकार) (659 बिलियन डॉलर) कर दिया है, जिससे इसकी वित्तीय क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

IMF कार्यकारी बोर्ड:

- इन सुधारों का एक पहलु यह भी है कि IMF के कार्यकारी बोर्ड के लिए कुछ कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब IMF का कार्यकारी बोर्ड पूरी तरह से निर्वाचित कार्यकारी निदेशकों से मिलकर बना होगा।
- वर्तमान में पांच सबसे बड़े कोटा धारक सदस्य देशों द्वारा एक-एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की जाती है, इन सुधारों के अस्तित्व में आने से ये प्रावधान स्वतः समाप्त हो गए हैं।

IMF के बारे में:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में जुलाई 1944 में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना की गयी थी।
- वर्तमान में 187 राष्ट्र IMF के सदस्य हैं।
- भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अग्रलिखित है:- वृहद आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, गरीबी कम करना, आर्थिक स्थिरता बनाये रखना, विकासशील देशों के लिए नीतिगत सलाह और वित्त पोषण, मौद्रिक प्रणाली में सहयोग के लिए मंच प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता तथा अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना।
- 1993 के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। IMF से लिए गए सभी ऋणों का भुगतान 31 मई 2000 को कर दिया गया।

2.3. कोअलिशन फॉर एपीडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस

(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations : CEPI)

सुर्खियों में क्यों?

- आधिकारिक तौर पर इसका शुभारम्भ जनवरी 2017 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक में किया गया। इस हेतु बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहित जर्मनी, जापान और नॉर्वे द्वारा 460 मिलियन डॉलर का आरम्भिक निवेश किया गया था।
- महत्व**
 - CEPI, वैक्सीन विकास के जोखिम और लाभों को साझा करते हुए महामारियों हेतु वैक्सीन के विकास के क्षेत्र में एक स्थायी एवं टिकाऊ मॉडल प्रदान करेगा।
 - यह दीर्घावधि में विभिन्न हितधारकों की क्षेत्रीय क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा।
 - CEPI, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के रूप में अचानक उभरने वाली वायरस जनित महामारियों के खिलाफ वैक्सीन के विकास प्रक्रिया की समयावधि को कम करेगा।

CEPI क्या है ?

- यह संक्रमण महामारियों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु नए टीके के विकास के लिए समन्वय स्थापित करने तथा उनके वित्तपोषण हेतु सरकारों, WHO जैसे अंतर सरकारी संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दानकर्ताओं का एक वैश्विक गठबंधन है।
- CEPI ने WHO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी बीमारी के सन्दर्भ में कार्य किया जाना चाहिए इसे तय करने के लिए यह WHO की प्राथमिकता सूची का उपयोग कर रहा है।
- टीकों का विकास आरम्भ करने के लिए CEPI ने तीन बीमारियों को अंतिम रूप से चयनित किया है: मिडिल ईस्ट रेस्पिरेंटरी सिंड्रोम (MERS), लासा बुखार और निपाह।

2.4. कांफ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (CICA)

(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia [CICA])

- यह एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है।
- इसके भारत सहित 26 सदस्य हैं। CICA की स्थापना 1992 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव द्वारा एक प्रस्ताव के आधार पर अंतर-सरकारी विचार-विमर्श करने हेतु की गई थी।
- इस मंच के विदेश मंत्रियों की **पांचवी बैठक चीन के बीजिंग** शहर में आयोजित की गयी थी।
- इस बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के 'धुरी' (Pivot) सिद्धांत के विरुद्ध एक नया सुरक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया।
- चीन ने, अमेरिका द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन को "पुनःसंतुलित" करने के लिए एशियाई देशों को "एशियाई विशेषताओं" के साथ एक सुरक्षा शासन मॉडल तैयार करने हेतु आमंत्रित किया।
- राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने "आम सहमति बनाने और संवाद को बढ़ाने के लिए" एशियाई विशेषताओं के साथ सुरक्षा शासन मॉडल (security governance model) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों से आग्रह किया।

2.5. बहुपक्षीय निर्यात व्यवस्थाएं

(Multilateral export regimes)

2.5.1. परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के बारे में

(About Nuclear Suppliers Group: NSG)

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की बैठकें सियोल और वियना में संपन्न हुईं। इन बैठकों में पूर्ण सदस्य के रूप में समूह में शामिल होने के लिए भारत द्वारा दिए गए आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया।

भारत की सदस्यता का विरोध

NSG की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रयासों का अमेरिका द्वारा समर्थन किया जा रहा है जबकि पाकिस्तान के सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रयास को चीन का समर्थन प्राप्त है।

- 48 में से 38 देश भारत की सदस्यता के पक्ष में थे।

- चीन ने प्रक्रियात्मक बाधाओं (भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है) का हवाला देते हुए भारत की सदस्यता का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है।

NSG की सदस्यता का महत्व :

- एक बहुराष्ट्रीय निकाय है। यह परमाणु हथियारों के विकास के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले पदार्थों के निर्यात और पुनः हस्तांतरण को नियंत्रित करने के माध्यम से परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह मौजूदा सामग्री पर निगरानी और सुरक्षा सम्बन्धी मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रयास करता है।
- NSG मई 1974 में भारतीय परमाणु परीक्षण की परिस्थितियों में स्थापित किया गया था तथा इसकी प्रथम बैठक नवंबर 1975 में हुई।
- वर्ष 2014 तक NSG में 48 सदस्य थे।
- 48 सदस्यीय NSG आम सहमति के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है न कि बहुमत के आधार पर अतः भारत सभी देशों को सहमत करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा है। भारत द्वारा किया जा रहा यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा को संयुक्त राष्ट्र में किये जाने वाले सुधारों के सम्बन्ध में कदम उठाने हेतु सहमत करने के समान है।
- भारत, इजरायल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान; इन चार देशों ने अभी तक NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

2.5.2. मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)

(Missile Technology Control Regime [MTCR])

भारत MTCR का 35वां सदस्य बन गया है। द हेग कोड ऑफ़ कंडक्ट (Hague Code of Conduct) में शामिल होने के बाद, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु अप्रसार व्यवस्था में शामिल होने के प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

सदस्यता का महत्व

- MTCR सदस्यता से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अतिरिक्त भारत की अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिलेगा।
- यद्यपि देर से ही सही फिर भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से लाभ प्राप्त होगा – क्योंकि 1990 के दशक में, नई दिल्ली MTCR की कठिनाइयों के कारण ही रूसी क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी नहीं प्राप्त कर पा रहा था।
- यह भारत को उच्च स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी (high-end missile technology) खरीदने में सक्षम बनाएगा और इससे रूस के साथ संयुक्त उपक्रम में भी मजबूती आएगी।
- यह रूस के सहयोग से विकसित सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के निर्यात के मार्ग को सुगम कर देगा।
- भारत अमेरिका से प्रिंटेड ड्रोन का आयात करने में सक्षम हो जाएगा।

MTCR के बारे में

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक भागीदारी व्यवस्था है। यह 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300 किमी से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानवरहित वायुयान प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाती है।

- चीन, इजरायल और पाकिस्तान MTCR के सदस्य नहीं हैं।
- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया समूह के प्रमुख सदस्य हैं।

हेग आचार संहिता (HCOC) के बारे में:

- बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता, जिसे हेग आचार संहिता (Hague Code of Conduct) के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2002 में बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए गठित किया गया था।

- HCOC **स्वैच्छिक, कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी** आचार संहिता है। यह सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रसार रोकने के लिए कार्यरत है।
- भारत 1 जून 2016 को HCOC में शामिल हो गया।
- HCOC पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 138 है।
- चीन, पाकिस्तान, इज़राइल और ईरान जैसे देश अभी भी इस स्वैच्छिक व्यवस्था में शामिल नहीं हुए हैं।

2.5.3. वासेनार व्यवस्था

(Wassenaar Arrangement)

- वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR) है जिसमें 41 राष्ट्र भागीदार हैं।
- उद्देश्य: परम्परागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण।
- 2013 में, वासेनार व्यवस्था में "इन्ट्रूज़न सॉफ्टवेयर" शामिल किया गया जो प्रभावी रूप से "निगरानी उपकरण" के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या साइबर स्पेस में "प्रोटेक्टिव काउंटरमेजर्स" (protective countermeasures) को विफल करने से संबंधित है। वे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो "सूचना प्राप्त करने" में मदद करते हैं उन्हें भी इस प्रतिबंधित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

2.5.4. ऑस्ट्रेलिया समूह

(Australia Group)

- ऑस्ट्रेलिया समूह विभिन्न देशों (इसमें अब यूरोपीय आयोग भी जुड़ गया है) का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना 1984 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के बाद 1985 में की गयी थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को उन निर्यातों की पहचान करने में मदद करना है जिन्हें नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोका जा सके।
- इसमें 42 सदस्य हैं जिनमें OECD के सभी सदस्य देश, यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय संघ के सभी 28 सदस्य देशों सहित यूक्रेन और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। संगठन का यह नाम इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह समूह बनाने के लिए पहल की थी। ऑस्ट्रेलिया ही इस संगठन के सचिवालय का प्रबंधन देखता है।

2.6. बिस्स्टेक

(BIMSTEC)

सुर्खियों में क्यों?

- बिस्स्टेक शिखर सम्मेलन, अक्टूबर 2016 में गोवा में आयोजित किया गया। 2017 में चतुर्थ बिस्स्टेक शिखर सम्मेलन हेतु इसकी अगली बैठक का आयोजन नेपाल में किया जाएगा।
- शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्षेत्रीय संपर्क, आतंकवाद, इस क्षेत्र के विकास, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, व्यक्ति-व्यक्ति संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा।
- इस संबंध में बिस्स्टेक देशों द्वारा **लीडर्स रिट्रीट आउटकम डॉक्यूमेंट** जारी किया गया।

बिस्स्टेक के बारे में

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) एक क्षेत्रीय संगठन है।
- यह **बैंकॉक घोषणा** के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया।
- यह बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसन्न क्षेत्रों में अवस्थित सात सदस्य देशों से मिलकर बना है।
- इनमें दक्षिण एशिया के पांच देश -बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड सम्मिलित हैं।

2.7. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

(Shanghai Cooperation Organization Summit)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का वार्षिक शिखर सम्मेलन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया।

- शिखर सम्मेलन में पहली बार शंघाई सहयोग संगठन में नए देशों को समायोजित करने और उन्हें समूह का स्थायी सदस्य बनाने के लिए विचार किया गया।
- भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद में जून 2016 को 24 दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर शंघाई सहयोग संगठन के एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की।
- भारत और पाकिस्तान जून 2017 इसके पूर्णकालिक सदस्य बन जायेंगे।

SCO के बारे में :

- यह एक यूरोशियाई राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेतृत्व में हुई थी।

सदस्य देश	नए सम्मिलित देश	पर्यवेक्षक देश	डायलाग पार्टनर
कजाखस्तान	भारत	अफ़ग़ानिस्तान	आर्मेनिया
चीन	पाकिस्तान	बेलारूस	अज़रबैजान
किर्गिस्तान		ईरान	कंबोडिया
रूस		मंगोलिया	श्रीलंका
ताजिकिस्तान			टर्की
उज्बेकिस्तान			नेपाल

2.8. विश्व व्यापार संगठन (WTO)

(World Trade Organization)

सुर्खियों में क्यों?

WTO के महानिदेशक रॉबर्टो एज़ेवेडो ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, भारत ने दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना में होने वाले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC) से पहले हल/समाधान किए जाने वाले WTO में लंबित कई मुद्दों को उठाया।

नए मुद्दों को सम्मिलित करने पर भारत का विरोध: भारत WTO के सभी सदस्यों के बीच सहमति के बिना वैश्विक व्यापार के उदारीकरण पर WTO स्तर की वार्ता के औपचारिक एजेंडे में 'न्यू इश्यूज' (नए मुद्दों) को प्रस्तुत किए जाने के खिलाफ है। WTO में शामिल किए जाने वाले मुद्दों में ई-कॉमर्स और निवेश हैं।

A. ई-कॉमर्स मुद्दा

- सितंबर 2016 में ICC और B-20 ने ई-कॉमर्स पर "WTO पैकेज" को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- विकसित और विकासशील देशों के मध्य इंटरनेट पहुंच में भारी असमानताओं के कारण ई-कॉमर्स के संभावित लाभार्थी विकसित देशों में होंगे।

B. निवेश का मुद्दा

- इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसके प्रयोग से निवेशक अपने मेजबान राज्यों पर निजी अंतर्राष्ट्रीय पैनल (प्राइवेट इंटरनेशनल पेनल) में मुकदमा कर सकते हैं।
- भारत ने WTO स्तर पर कुछ विकसित देशों द्वारा एक वैश्विक निवेश समझौते के प्रयासों का विरोध किया है। इसमें विवादास्पद इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म सम्मिलित होगा।

WTO के बारे में

- यह एक अंतरसरकारी संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1997 में की गयी थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं।
- इसकी विभिन्न भूमिकाएं हैं: यह व्यापार नियमों की एक वैश्विक प्रणाली संचालित करता है; यह व्यापार समझौतों पर वार्ता करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है; यह अपने सदस्यों के मध्य व्यापार विवाद का समाधान करता है तथा यह विकासशील देशों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है।

2.9. एसेम सम्मलेन

(ASEM Summit)

- 11वाँ एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुआ।
- उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- ASEM एक अनौपचारिक अंतर-क्षेत्रीय संवाद है जोकि राजनीतिक, सुरक्षा, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

ASEM के बारे में

इसे आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 1996 को हुए इसके प्रथम शिखर सम्मलेन के दौरान बैंकॉक (थाईलैंड) में स्थापित किया गया।

- इसका उद्देश्य आपसी सम्मान और समान भागीदारी की भावना से दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- ASEM के 53 भागीदार हैं। भारत भी ASEM का हिस्सा है।

ASEM प्रक्रिया के मुख्य घटक निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित हैं:

- राजनीतिक स्तंभ
- आर्थिक स्तंभ
- सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तंभ

2.10. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन

(International Organisation For Migration - IOM)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को संयुक्त राष्ट्र का अंग (अर्थात इससे संबंधित संगठन के तौर पर) बनाने के लिए एक समझौते के अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

IOM के बारे में

- IOM ने एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 में लगभग 20 मिलियन प्रवासियों को सहायता प्रदान की है। विश्व भर में IOM के 9,500 से अधिक कर्मचारी और 450 कार्यालय हैं।
- 1951 में स्थापित, IOM प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन है। यह सरकारी, अंतर सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है।
- इसमें 166 सदस्य देश हैं तथा 8 अन्य देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। 100 से अधिक देशों में इसके कार्यालय हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए इसकी स्थापना की गयी थी।
- IOM को 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था।
- 1996 में IOM और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रवासन प्रबंधन (Migration Management) के चार व्यापक क्षेत्र हैं:

- प्रवासन और विकास (Migration and development)
- प्रवासन को सुगम बनाना (Facilitating migration)
- प्रवासन को विनियमित करना (Regulating migration)
- बलात प्रवासन से सम्बंधित मुद्दे (Forced migration)

2.11. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मलेन

(17th Summit of the Non Aligned Movement [NAM])

सुर्खियों में क्यों?

- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) का 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के मार्गरेटा में संपन्न हुआ।
- भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति ने किया, न कि हमेशा की तरह सरकार के प्रमुख (प्रधानमंत्री) ने।
- इससे पूर्व केवल एक बार NAM शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया था। उस समय प्रधानमंत्री चरण सिंह की कार्यवाहक सरकार थी और सम्मेलन 1979 में हवाना (क्यूबा) में संपन्न हुआ था।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM)

- सितम्बर 1961 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में NAM में 120 सदस्य राष्ट्र एवं 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नूरुमाह और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप बरोज़ टिटो द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- पहला NAM शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।

2.12. सार्क शिखर सम्मलेन

(SAARC Summit)

सुर्खियों में क्यों?

उड़ी हमले के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से और उसके आस-पड़ोस से अलग-थलग करने के लिए आक्रामक कूटनीतिक आरंभ कर दी है।

- भारत ने इस वर्ष नवम्बर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मलेन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी भारत का अनुसरण करने का फैसला किया है।
- यह निर्णय अभूतपूर्व है, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय पहली बार लिया गया है जब भारत ने पाकिस्तान स्थित तत्वों के कारण क्षेत्रीय समूह के शिखर सम्मलेन की बैठक में भागीदारी को रद्द कर दिया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा सम्मलेन की बैठक में भाग न लेना दक्षिण एशिया के आर्थिक एकीकरण में बाधा बन सकता है।

2.13. BBIN पहल

(BBIN Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भूटान की संसद के उच्च सदन द्वारा शीतकालीन सत्र के दौरान बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (Motor Vehicle Agreement: MVA) को अस्वीकार कर दिया गया।
- इससे पहले, समझौते को संसद के निचले सदन ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि विपक्ष द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गयी थी।

भूटान के सांसदों द्वारा उद्धृत कारण

- BBIN-MVA से भूटान के आर्थिक विकास में अधिक सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि भूटान का अधिकांश व्यापार भारत के साथ है। दोनों देशों द्वारा पहले से ही अपनी सीमा के आर-पार वाहनों की मुक्त आवाजाही की अनुमति प्रदान की गयी है।

भारत के लिए BBIN का महत्व

- चार सार्क देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) के बीच MVA समझौता सीमाओं के आर-पार लोगों और माल की सहज आवाजाही सुनिश्चित कर क्षेत्रीय लाभ और एकीकरण तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- BBIN फ्रेमवर्क को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग के एक लाभदायक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जिसमें परिवहन के साथ-साथ ऊर्जा भी शामिल है।

- समझौते को लागू कर पाकिस्तान को बाहर रखने की भारत की योजना को, अस्वीकृति से एक झटका लगा है।

भूटान के फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने भूटान सरकार से समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हालांकि, वहाँ की प्रक्रिया के अनुसार पुनर्विचार केवल एक वर्ष के बाद ही किया जा सकता है।
- नई दिल्ली अब समझौते को लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों को तलाश रही है। फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि समझौता केवल उन देशों के बीच लागू किया जाएगा जिन्होंने इसकी पुष्टि की है - भारत, बांग्लादेश और नेपाल।

2015 में इन चारों दक्षिण एशियाई देशों भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच यात्रियों, कर्मिकों और कार्गो वाहनों की आवाजाही के नियमन के लिए एक महत्वपूर्ण मोटर वाहन समझौते (MVA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2.14. भारत-आसियान

(India-ASEAN)

सुखियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियनतियेन में आयोजित 14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 11वें ईस्ट एशिया समिट(east asia summit) में भाग लिया।

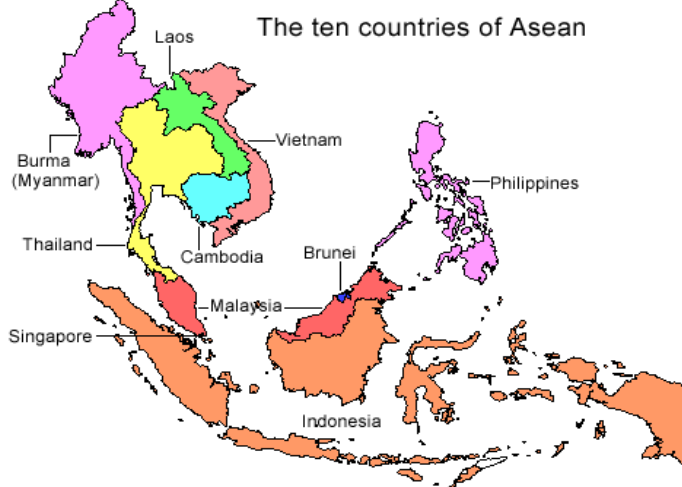
पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS)

- **EAS** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2005 में अपनी स्थापना से ही **EAS** ने पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त **EAS** में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सम्मिलित हैं।
- भारत, **EAS** का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते **EAS** को सुदृढ़ करने एवं समकालीन चुनौतियों से निपटने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

EAS के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित महत्वपूर्ण मुद्दे

EAS में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे: आतंकवाद का राज्य-नीति के उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करना तथा दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

- प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अधिकतर देश आर्थिक समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण मार्ग का पालन कर रहे हैं। "किन्तु भारत के पड़ोस में स्थित एक देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ केवल आतंकवाद के उत्पादन और निर्यात में निहित है।"
- दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के लिए उन्होंने कहा कि इस समुद्र से गुजरने वाले मार्ग "वैश्विक व्यापार की मुख्य धमनियों ("main arteries of global merchandise trade")." के समान रहे हैं।
- भारत विशेष रूप से UNCLOS में परिलक्षित कानून के सिद्धांतों पर आधारित नौसंचालन एवं क्षेत्र के ऊपर से वायुयान संचालन एवं अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।



सचिवालय	सदस्य
जकार्ता	ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम पर्यवेक्षक: पापुआ न्यू-गिनी, तिमोर-लेस्ते

2.15. ब्रिक्स (BRICS)

2.15.1. ब्रिक्स का आठवां शिखर सम्मलेन

(Eighth BRICS Summit)

सुर्खियों में क्यों?

- आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, गोवा में आयोजित किया गया। इसका थीम “बिल्डिंग रेस्पोंसिव, इंकलूसिव कोलेबोरेटिव सोल्यूशन (Building Responsive, Inclusive and Collective Solutions) था।
- शिखर सम्मेलन **गोवा घोषणा** की स्वीकृति के साथ संपन्न हुआ। नौवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 में चीन में आयोजित किया जाएगा।

गोवा घोषणा की मुख्य विशेषताएं

- वैश्विक सुरक्षा पर-** इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की दृढ़ता से निंदा की गई तथा UN-काउंटर टेररिज्म के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गई। इसके साथ ही काम्प्रिहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) को स्वीकृत करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।
- SDGs पर-** सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 2030 एजेंडा को अपनाने का स्वागत किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर-** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को दोहराया गया।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक पर-** ब्रिक्स के सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में ऋणों के पहले बैच के अनुमोदन से संतुष्ट थे।



ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था

- 2015 में ब्रिक्स के सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था अब कार्य कर रही है और इस समूह के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक लेनदेन संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
- यह वास्तविक अथवा संभावित अल्पकालीन भुगतान संतुलन के दबावों का तरलता और एहतियाती उपकरणों के माध्यम से सामना करने हेतु निर्धारित रूपरेखा है।

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला नाम है। इसमें शामिल हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
- यह 2009 में स्थापित किया गया था तथा 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले मूल रूप से ब्रिक (BRIC) के रूप में जाना जाता था।
- पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन **येकतेरिनबर्ग**, रूस में आयोजित किया गया था।
- वे अपनी बड़ी और, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण विशिष्ट हैं।

शिखर सम्मलेन	वर्ष	स्थान	महत्व
पहला	जून 2009	येकतेरिनबर्ग, रूस	
दूसरा	अप्रैल 2010	ब्राजीलिया, ब्राजील	
तीसरा	अप्रैल 2011	सान्या, चीन	BRIC के मूल सदस्य देशों के साथ दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करते हुए पहला सम्मलेन
चौथा	मार्च 2012	नई दिल्ली, भारत	BRICS केबल- एक ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन्स केबल सिस्टम की घोषणा की गई जो BRICS देशों द्वारा दूरसंचरण हेतु प्रयुक्त होगा।
पांचवां	मार्च 2013	डरबन, दक्षिण अफ्रीका	
छठवां	जुलाई 2014	फोर्टालेज़ा, ब्राजील	BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक और BRICS कन्टिन्जेंट रिज़र्व अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए।
सातवां	जुलाई 2015	उफा, रूस	SCO-EEU के साथ संयुक्त शिखर सम्मलेन

2.15.2. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी

(BRICS Rating Agency)

मुख्य तथ्य

- ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शासन संरचना को मजबूत बनाने के लिए बाजार उन्मुख सिद्धांतों (market oriented principles) पर आधारित एक स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी स्थापित करने के लिए सहमति जताई है।
- इस बात की आशंका जताई जाती है कि तीन बड़ी वैश्विक एजेंसियां- S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स और मूडीज़ इनवेस्टर सर्विसेस- विकासशील देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं। यह तथ्य उनके द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को प्रदान की गयी खराब रेटिंग से स्पष्ट होता है।
- डीप कैपिटल बर्फर्स होने के बावजूद ब्रिक्स समर्थित NDB जैसे बहुपक्षीय बैंकों की रेटिंग वस्तुतः संरक्षक देशों की सॉवरेन रेटिंग के कारण प्रभावित हो रही हैं।
- इसके अलावा, रेटिंग एजेंसियों के वर्तमान मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत, बांड जारी करने वाली कंपनी या संस्था रेटिंग एजेंसी को स्वयं की रेटिंग करवाने के लिए भुगतान करती है। इसे जारीकर्ता भुगतान मॉडल (issuer-pay model) के नाम से जाना जाता है। यह रेटिंग के इस मॉडल में निहित नैतिक खतरा है (moral hazard)। साथ ही यह एक विचारणीय नैतिक (ethical) मुद्दा है।

2.15.3. एक्जिम बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

(MOU between EXIM Bank, New Development Bank)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (EXIM Bank) और ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुसार सहयोग के एक ढांचे को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त MoU का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच कौशल स्थानान्तरण तथा ज्ञान की साझेदारी को संभव बनाना है।

NDB के बारे में

- विश्व बैंक पूंजी शेयर के आधार पर वोटों को आवंटित करता है। विश्व बैंक के विपरीत न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसी भी वीटो शक्ति के बिना प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित किया है।
- बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर है। NDB का इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल (Initial Subscribed Capital) 50 बिलियन डॉलर है, जिसमें पेड-इन शेयर (Paid-in shares) (10 बिलियन डॉलर) और कॉलेबल शेयर (callable shares) (\$ 40 बिलियन डॉलर) हैं।



2.15.4 भारत में प्रथम ब्रिक्स युवा वैज्ञानिकों के कॉन्क्लेव का आयोजन

(India to Host 1st BRICS Young Scientists)

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने ब्रिक्स देशों के युवा वैज्ञानिकों / शोधकर्ताओं के पांच दिवसीय कॉन्क्लेव के आयोजन की मेजबानी की।
- यह कॉन्क्लेव नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के तत्वाधान में बेंगलुरु में आयोजित किया गया
- इसने युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने, जोड़ने और नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान किया है। और साथ ही यह ब्रिक्स देशों के समक्ष उभरी कुछ आम चुनौतियों और उनके समाधान के लिए चर्चा हेतु युवा वैज्ञानिकों को मंच भी प्रदान करेगा।

2.15.5. जयपुर घोषणा पत्र

(Jaipur Declaration)

- हाल ही में ब्रिक्स देशों की महिला सांसदों ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु 'जयपुर घोषणा' पत्र को अपनाया है।
- यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को विकासशील एवं कम विकसित देशों को सहायता प्रदान करने हेतु की गयी है। घोषणा इन देशों को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत नई एवं सस्ती प्रौद्योगिकियों को आसानी से उपलब्ध कराने का आह्वान करती है।
- यह SDG से संबंधित कानून और पर्याप्त बजटीय संसाधनों के शीघ्र संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता का उल्लेख करता है।

2.16. UNCITRAL के 50 वर्ष

(50 Years of UNCITRAL)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूनाइटेड नेशन्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ: UNCITRAL) ने हाल ही में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। इसका आयोजन भारत द्वारा किया गया।

UNCITRAL के बारे में

- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का एक मूल (core) कानूनी निकाय है।

- UNCITRAL की स्थापना 1966 में की गयी थी।
- इसका कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों का आधुनिकीकरण और उनमें सामंजस्य स्थापित करना है।

UNCITRAL की भूमिका

व्यापार का अर्थ है- वाणिज्य के माध्यम से तीव्र वृद्धि, उच्च जीवन स्तर तथा नए अवसर। विश्व भर में इन अवसरों को बढ़ाने के लिए, UNCITRAL वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में आधुनिक, निष्पक्ष, और सुसंगत नियम तैयार कर रहा है। इसमें निम्न अवयव शामिल हैं:

- विश्व भर में स्वीकार्य कन्वेंशन, मॉडल कानून और नियम।
- व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण कानूनी और विधायी दिशानिर्देश और सिफारिशें।
- कानूनी मामले (case law) पर अद्यतन जानकारी तथा एक समान वाणिज्यिक कानूनों का अधिनियमन।
- कानून सुधार परियोजनाओं में तकनीकी सहायता।
- एक समान वाणिज्यिक कानून पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सेमिनार।

2.17. G-20 शिखर सम्मेलन

(G-20 Summit)

सुर्खियों में क्यों?

G20 का 11वाँ शिखर सम्मेलन हांगजो, चीन में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु "नवोन्मेषी, नवीन ऊर्जा से सराबोर, अंतर्संबंधित एवं समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था" की स्थापना करना था ("Toward an Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy")।

G-20 के बारे में

- G-20 की शुरुआत एशियाई वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप वर्ष 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में हुयी थी।
- 20 देशों का यह समूह (G-20) अपने सदस्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग तथा उनसे जुड़े मामलों में निर्णय-निर्धारण के लिए प्रमुख फोरम है। इसमें 19 देश एवं यूरोपीय संघ सम्मिलित हैं।
- G-20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 80%, विश्व की जनसंख्या के 65% का प्रतिनिधित्व करता है।
- G-20 नेताओं का प्रथम शिखर 2008 में सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

2.18. निःशस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति

(Disarmament and Security Committee)

सुर्खियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा की डिसआर्मामेंट एंड सिक्योरिटी काउंसिल ने परमाणु हथियारों के निषेध के लिए नई अंतरराष्ट्रीय संधि पर अगले वर्ष वार्ता शुरू करने पर सहमति जतायी। काउंसिल ने इसके लिए प्रस्ताव के समर्थन में मतदान भी किया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाँच परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से चार- ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के बारे में

NPT एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसके उद्देश्य निम्न हैं :

- परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना।
- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना।

- परमाणु निःशस्त्रीकरण तथा सार्वभौम एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- यह संधि 1970 में अस्तित्व में आयी 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- यह संधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को मान्यता प्रदान करती है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार सदस्य देश- भारत, इजरायल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान परमाणु अप्रसार संधि में कभी शामिल नहीं हुए।

2.19. भारत और AARDO के बीच समझौता ज्ञापन

(MoU between India and AARDO)

सुर्खियों में क्यों?

कैबिनेट ने भारत और अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO: African Asian Rural Development Organization) के बीच तीन वर्षों (2015 - 2017) के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

समझौता ज्ञापन के बारे में

- ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का इन तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाएगा।

AARDO बारे में

- AARDO, 1962 में स्थापित एक स्वायत्त, अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्तमान समय में AARDO में अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के 31 देश शामिल हैं।
- भारत, इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और सदस्यों के बीच सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

2.20. मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा

(Maldives quits Commonwealth)

सुर्खियों में क्यों?

- मालदीव ने भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन करने के आरोपों के चलते राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी है।
- अक्टूबर 2013 में गाम्बिया के बाद राष्ट्रमंडल छोड़ने वाला यह नवीनतम सदस्य है।

राष्ट्रमंडल क्या है?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन सहित पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे और पराधीन देशों से मिलकर हुई।
- अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र से कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल हुए। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 52 है।
- सदस्यता, स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है।
- राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हुए अंतिम दो देश रवांडा और मोजाम्बिक हैं।

2.21. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

(International Criminal Court: ICC)

सुर्खियों में क्यों?

- रूस ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) की संस्थापक सदस्यता को त्याग दिया। रूस के द्वारा इसका कारण अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा क्रीमिया के विलय को रूस एवं यूक्रेन के बीच एक सैन्य संघर्ष मानने तथा इसे आक्रमण के रूप में वर्गीकृत करना बताया गया।
- बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की सदस्यता त्याग दी है। अब केन्या और युगांडा का भी यही इरादा है।

ICC के बारे में

- यह विश्व की प्रथम कानूनी संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने का स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकार है।
- हेग स्थित ICC में 124 देश सदस्य हैं।
- ICC ने 1 जुलाई 2002 को काम करना आरम्भ किया। इसी तिथि को रोम संविधि (Rome Statute) लागू की गयी थी।
- रोम संविधि एक बहुपक्षीय संधि है जो ICC के मूलभूत और शासी दस्तावेज के रूप में कार्य करती है।

2.22. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(UN Human Rights Council)

सुर्खियों में क्यों?

- रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपनी सीट नहीं बचा पाया। यह परिस्थिति सीरिया में रूस की नीतियों के संबंध में लगाये गए युद्ध अपराध संबंधी आरोपों के कारण निर्मित हुई।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- एक दशक पहले UNHRC के निर्माण के बाद से यह पहला अवसर था जबकि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य परिषद के लिए निर्वाचित होने में विफल रहा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में

- परिषद जिनेवा स्थित 47 सदस्यीय निकाय है।
- इसे वर्ष 2006 में वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- परिषद के सदस्य विभिन्न देशों को मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए कार्य करते हैं।
- यह उल्लंघन के मामलों को प्रकाश में लाने का कार्य करती है। यह सुरक्षा परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए एक रेफरल बनाने के लिए अनुशंसा करने का निर्णय भी करती है।
- परिषद के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह उल्लंघन करने वाले देश पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है। इस कार्य के लिए यह विशेष प्रतिवेदक (Rapporteurs) रख सकती है, जिनके पास जांच-पड़ताल और मानव अधिकारों के हनन के प्रतिवेदन का अधिदेश (मैंडेट) होता है।

2.23 जयपुर शिखर सम्मेलन: FIPIC (Jaipur Summit: FIPIC)

- भारत ने फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन (FIPIC) के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
- FIPIC के जयपुर शिखर सम्मेलन में 14 दक्षिणी प्रशांत द्वीपों के बढ़ते हुए भू-रणनीतिक (geostrategic) महत्व को रेखांकित किया गया। ये सभी देश संसाधनों से भरपूर महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के केंद्र में स्थित हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़े वोटिंग ब्लाक वाले देश हैं।
- FIPIC फोरम भारत और 14 प्रशांत द्वीपसमूह देशों के बीच सहयोग के लिए 2014 में विकसित एक बहु पक्षीय समूह है जिसमें कुक द्वीपसमूह, फिजी, किरिबाती, मार्शल द्वीपसमूह, माइक्रोनेशिया, नौरु, नीयू, सामोआ, सोलोमन द्वीप, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।
- उपरोक्त देशों और सरकारों के प्रमुख नवंबर 2014 में फिजी के सुवा में पहली बार मिले थे। यहीं से वार्षिक शिखर सम्मेलन की अवधारणा का जन्म हुआ था।

2.24. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी

(International Energy Agency)

भारत एक एसोसिएट सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल हुआ है। इससे यह अब दुनिया की 70% ऊर्जा खपत को कवर करने वाली संस्था हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में

- इसकी स्थापना, ओपेक कार्टेल द्वारा तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण वर्ष 1974 में विकसित देशों द्वारा की गयी थी।

- इसके चार प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता स्थापित करना।
- 2014 में एस्टोनिया के 29वें सदस्य के रूप में शामिल होने से इसके कुल 29 सदस्य हो गए हैं।
- केवल OECD के सदस्य राज्य ही IEA के सदस्य बन सकते हैं। चिली, आइसलैंड, इजराइल, मैक्सिको और स्लोवेनिया को छोड़कर सभी OECD सदस्य राज्य IEA के सदस्य हैं

2.25. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक

(African Development Bank)

- अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (AFDB) अफ्रीकी देशों की आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में योगदान करने के लिए गठित बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान (multilateral development finance institution) है।
- AFDB की स्थापना 1964 में हुई थी और इसमें तीन संस्थाएं शामिल हैं:
 - ✓ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक
 - ✓ अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड
 - ✓ नाइजीरिया ट्रस्ट फंड
- इसका मुख्यालय ट्यूनिस (ट्यूनीशिया) में है।

LIVE / ONLINE
Classes Available

- ✦ Access to recorded classroom videos at your personal student platform
- ✦ Comprehensive, relevant & updated **HARD Copy** study material for prelims syllabus. (for online students, it will be dispatched through post)

Fast Track Course for GS PRELIMS

DURATION
65 classes

- ✦ Classroom MCQ based tests & access to **ONLINE PT 365 Course**
- ✦ Access to All India Prelims Test Series

3. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं

(INTERNATIONAL EVENTS)

3.1. इजराइल-फिलिस्तीन

(Israel-Palestine)

सुर्खियों में क्यों?

इजरायल की संसद, नेसेट ने एक कानून पारित किया जो कि निजी स्वामित्व वाली फिलिस्तीनी भूमि पर यहूदी बस्तियों को पूर्व प्रभावी रूप से (retroactively) वैधता प्रदान करेगा।

- यह कानून इजरायल की सरकार को भूमि के मालिकों के अज्ञात होने पर निजी फिलिस्तीनी भूमि को जब्त करने की अनुमति देता है। यदि भूमि के मालिक ज्ञात हों, तो उन्हें नकद या किसी अन्य प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा।
- यह कानून पूर्वी यरूशलेम के कब्जे के बाद से पहली बार वेस्ट बैंक की ओर इजराइल के कानून का विस्तार करने का प्रयास करता है। न्यायपालिका द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है।
- चूंकि पांच दशक पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था अतः फिलिस्तीनी क्षेत्रों में करीब 140 बस्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें 600,000 से ज्यादा यहूदियों के घर हैं।

कानून की आलोचना (Criticism of Law)

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जबर्दस्त ढंग से इन बस्तियों का विरोध करता है और इन्हें शांति के लिए एक बाधा के रूप में देखता है।
- कानून के विवादग्रस्त तत्वों में से एक यह है कि वेस्ट बैंक इजरायल के स्वामित्व वाला राज्य नहीं है और फिलिस्तीनी जो वहां रहते हैं इजरायल के नागरिक नहीं हैं और इनके पास उन सरकारों के लिए वोट करने का अधिकार नहीं है, जो उन पर कानून थोप रही है।



3.2. ब्रेक्जिट

(BREXIT)

Brexit यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने वाला टर्म है। ब्रिटेन ने एक करीबी जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में मतदान द्वारा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रास्ते को चुना।

ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया

- वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 का प्रयोग करना होगा, जिसका इससे पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया है।
- पहला कदम सदस्य राज्यों वाली यूरोपीय परिषद को सूचित करना होता है जिससे दो वर्ष की वार्ता का दौर प्रारंभ होगा।

नॉर्वे मॉडल - बीच का रास्ता

- आइसलैंड और लीचटेनस्टीन सहित नॉर्वे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का सदस्य है।
- यूरोपीय संघ और EEA के बीच संबंधों का प्रबंधन करने हेतु EEA देशों का ब्रसेल्स में एक अलग सचिवालय है।
- ये देश यूरोपीय संघ से बाहर रहते हुए यूरोपीय संघ के बजट में योगदान करते हैं और एकल बाजार तक पहुंच रखते हैं।

यूरोपीय संघ (EU) के बारे में

- यह मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 28 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- EU ने कानूनों की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है। यह कानून सभी सदस्य देशों पर लागू होता है।

- शेंगेन क्षेत्र (Schengen Area) के भीतर पासपोर्ट नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है।
- 1999 में एक मौद्रिक संघ स्थापित किया गया था, जो 2002 में पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। यह EU के उन 19 सदस्य देशों से मिलकर बना है जो यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं।
- EU के सात प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय हैं, जिन्हें इसकी संस्थाओं के रूप में जाना जाता है, ये हैं- यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स।

3.3. संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान

(USA-Pakistan)

सुर्खियों में क्यों?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने में विफलता के कारण पाकिस्तान को दी जाने वाली 300 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता को बन्द करने का निर्णय किया है।
- अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां दोहरे मापदंड अपनाती हैं, ये अफगान विद्रोहियों और भारत विरोधी आतंकी समूहों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखती हैं।

गठबंधन सहायता कोष (CSF)

- 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद, अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन में पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा दी जाने वाली ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 2002 में अरबों डॉलर की सहायता देना शुरू किया।
- 2001 के बाद से CSF खातों का लगभग आधा भाग पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अमेरिकी वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है।
- पाकिस्तान, CSF की प्रतिपूर्ति का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, इसने 2002 के बाद से लगभग 14 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किये।

हक्कानी नेटवर्क

- हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमरीकी दलों के साथ ही अफगान सरकार और नागरिक ठिकानों के खिलाफ बहुत अधिक संख्या में हमले और अपहरण किये हैं।
- इस समूह को काबुल में 2008 में भारतीय दूतावास पर हुये बम विस्फोट सहित अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ कई घातक हमलों के लिए भी दोषी ठहराया गया है।

3.4. हार्ट ऑफ एशिया (HoA) सम्मेलन

(Heart of Asia [HoA] conference)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया के 6ठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की।

हार्ट ऑफ एशिया के बारे में

- द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया 2011 में शुरू की गयी थी। इसमें भाग लेने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चीन, भारत, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
- इसके 14 सदस्य देशों को, 16 अन्य देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन प्राप्त है।
- यह मंच का प्रारंभ अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।

अमृतसर घोषणा: मुख्य बिंदु

इस घोषणा में युद्ध से तबाह देश की उसके राजनीतिक एवं आर्थिक संक्रमण में मदद करने के उद्देश्य से आतंकवाद की तत्काल समाप्ति का आह्वान किया।

- राज्य प्रायोजित आतंकवाद की पहचान एक प्रमुख चुनौती के रूप में की गयी और सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने पर सहमत हुए।
- सदस्यों ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- सदस्यों ने आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का लाभ उठाने पर बल दिया।
- सदस्यों ने व्यापार के लिए नॉन-टैरिफ (गैर-प्रशुल्क) बाधाओं को दूर करने पर सहमति व्यक्त की।

3.5. अफपाक (Afpak)-मध्य एशिया में चीन की भूमिका

(China role in Afpak-Central Asia)

चीन ने अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता को कम करने हेतु नेतृत्व करने का फैसला किया है।

चतुर्पक्षीय तंत्र

(Quadrilateral mechanism)

- चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडर "आतंकवाद-रोधी चतुर्पक्षीय सहयोग और समन्वय तंत्र" का गठन करने के लिए झिजियांग प्रांत के उरुमकी में मिले।

चतुर्पक्षीय तंत्र के गठन के कारण

- झिजियांग प्रांत में आतंकवादी समूहों के उदय और इन आतंकी समूहों के आपसी अंतर्संबंधों के कारण चीन इस क्षेत्र तथा OBOR (वन बेल्ट वन रोड) परियोजनाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित है।
- अफगानिस्तान में राजनीतिक सुलह के प्रयास हेतु चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के मध्य एक अन्य चतुर्पक्षीय वार्ता की असफलता।
- चीन OBOR पहल को बढ़ावा देने के लिये तथा अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की बहाली के लिए अफगान संकट का राजनीतिक समाधान ढूँढ रहा है।

3.6. रूस-पाकिस्तान

(Russia-Pakistan)

सुर्खियों में क्यों?

रूस तथा पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 'Friendship—2016' नाम से अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यह दो पूर्व शीत-युद्ध प्रतिद्वंद्वियों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को दर्शाता है।

भारत के लिए चिंताएं

- संयुक्त सैन्य अभ्यास को मिलिट्री-टू-मिलिट्री सहयोग बढ़ाने के एक अन्य कदम के रूप में देखा जाता है, जिससे दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि के संकेत मिलते हैं।
- रूसी-पाकिस्तानी संबंधों में पुनरुत्थान 2014 में प्रारंभ हुआ जब क्रेमलिन ने इस्लामाबाद के विरुद्ध हथियारों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए।
- 2015 में, मास्को ने चार Mi-35M हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचने पर सहमति व्यक्त की तथा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सम्मिलित होने के लिए इस्लामाबाद का स्वागत किया।

3.7. APTTA (अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट)

(APTTA: Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement)

अफगानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट (जिसे APTTA के नाम से भी जाना जाता है) पाकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही को काफी हद तक सुगम बनाने के लिए किया गया है।

- 2010 में हस्ताक्षरित APTTA, ट्रांजिट व्यापार के लिए दोनों देशों को नामित ट्रांजिट गलियारों पर स्थित एक दूसरे के हवाई अड्डों, रेल मार्गों, सड़कों, और बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देता है।
- यह समझौता किसी तीसरे देश के सड़क परिवहन वाहनों को कवर नहीं करता है, चाहे वह भारत से हो या मध्य एशिया के किसी अन्य देश से।

- APTTA समझौता अफगान ट्रकों को पाकिस्तान से होते हुए वाघा क्रॉसिंग पॉइंट तक भारत को किये जाने वाले निर्यात के परिवहन की अनुमति देता है। किन्तु यह अफगानिस्तान को पाकिस्तान के क्षेत्र से भारतीय माल को आयात करने का अधिकार नहीं देता है।

3.8. वन चाइना पॉलिसी

(One China Policy)

सुर्खियों में क्यों ?

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वन चाइना पॉलिसी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हठधर्मिता के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाया है।

वन चाइना पॉलिसी क्या है?

- वन चाइना पॉलिसी का सिद्धांत या दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि, दो सरकारों (चीन और ताइवान) के अस्तित्व के बावजूद भी केवल एक ही राष्ट्र है, जो चीन के नाम से जाना जाता है।
- नीति के रूप में, इसका अर्थ है कि जो देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC, मुख्यभूमि चीन) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC, ताइवान) के साथ आधिकारिक संबंधों को तोड़ना होगा।
- वन चाइना पॉलिसी "वन चाइना सिद्धांत" से अलग है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि ताइवान और चीन की मुख्य भूमि दोनों एकल चीन का अविभाजित (अलग न किया जा सकने वाला) भाग हैं।
- यह सिद्धांत ताइवान पर चीनी संप्रभुता की पुष्टि एवं वाशिंगटन और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की आधारशिला है।
- कोई भी देश जो चीन के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता है उसे इस सिद्धांत का पालन करने के लिए सहमत होना होगा और वह ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देगा।
- वर्तमान में, 21 राज्यों ने ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- व्यवहार में, 'वन चाइना' सिद्धांत एक संतुलन स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ताइवान की राजनीतिक स्थिति को एक स्वतंत्र, आर्थिक, नागरिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति देकर यथास्थिति को बरकरार रखती है।

3.9. दक्षिण चीन सागर विवाद

(South China Sea (SCS) Dispute)

नीदरलैंड के द हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration: PCA) ने निर्णय दिया है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। फिलीपींस द्वारा मामले को 2013 में न्यायालय में लाया गया था, जो स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) पर केंद्रित है। हालांकि बीजिंग के द्वारा कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला किया गया।

मध्यस्थता पैनल ने क्या निर्णय दिया?

- हेग स्थित न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सागर में तथाकथित "नाइन-डैश लाइन (nine-dash line)" का चीन का दावा व्यापक आर्थिक हितों के साथ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) का उल्लंघन था।



- अत्यधिक मत्स्यन और कृत्रिम द्वीपों के विकास के कारण न्यायालय ने **स्प्रेटली आइलैंड्स** जोकि एक विवादास्पद द्वीप समूह है, में पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँचाने के लिए चीन की निन्दा की है।
- न्यायालय ने कहा कि चीन ने फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया। यह भी कहा कि चीन के द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण "कोरल रीफ पर्यावरण को गंभीर नुकसान" का कारण है।

'नाइन-डैश' लाइन क्या है?

- 'नाइन-डैश' लाइन दक्षिणी हैनान द्वीप के दक्षिण और पूर्व में सैकड़ों किलोमीटर में फैला क्षेत्र है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण **पार्सेल और स्प्रेटली द्वीप** शृंखला को कवर करता है। चीन ने अपने दावे की पुष्टि हेतु 2000 वर्षों के इतिहास का हवाला दिया जिसमें इन दो द्वीप शृंखलाओं को इसके अभिन्न हिस्से के रूप में माना गया था।

PCA के निर्णय पर चीन की प्रतिक्रिया

- चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के संबंध में इस अंतरराष्ट्रीय निर्णय को "अमान्य ("null and void")" कहकर खारिज कर दिया गया और इसे किसी भी "बाध्यकारी तत्व" से रहित बताया।
- चीन दक्षिण चीन सागर में एक **एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (Air Defence Identification Zone-ADIZ)** स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ADIZ बनाये जाने से इसके ऊपर से उड़ने वाले विमानों को पहले चीन को सूचित करना होगा।
- कई चीनी विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि यह पूरा प्रकरण चीन को घेरने के उद्देश्य से अमेरिका के "पाइवोट टू एशिया" अथवा पुनर्संतुलन रणनीति को लागू करने के लिए निर्मित किया गया एक छद्म आवरण है।

भारत की प्रतिक्रिया

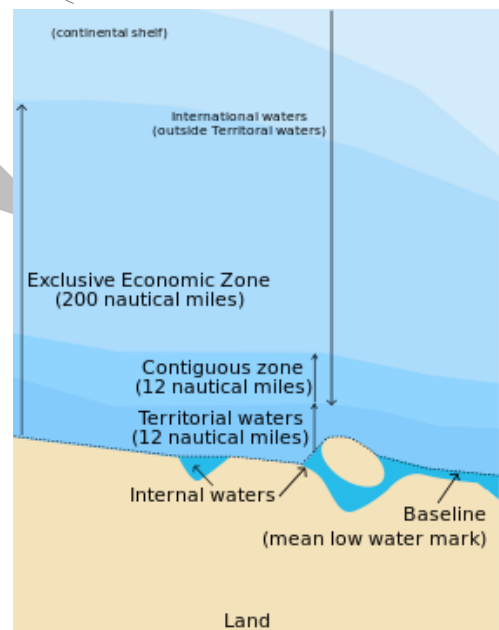
- भारत ने इसे मान्यता प्रदान करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि न्यायाधिकरण को UNCLOS के क्षेत्राधिकार के भीतर गठित किया गया था, इसलिए इसके फैसले का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए।

दक्षिण चीन सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- दक्षिणी चीन सागर एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख समुद्री मार्गों और व्यापार के मुख्य मार्गों में से एक है। प्रतिवर्ष लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक व्यापार जहाजों के द्वारा दक्षिण चीन सागर से होता है।
- दक्षिणी चीन सागर कई अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक तथा अन्य संसाधनों से भी समृद्ध है।

UNCLOS के बारे में (लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या द लॉ ऑफ द सी ट्रीटी)

- यह 1973 से 1982 के बीच आयोजित तीसरे यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS III) के दौरान संपन्न किया गया एक अंतराष्ट्रीय समझौता है।
- यह विश्व के महासागरों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। इसके साथ ही व्यवसायों, पर्यावरण और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।



3.10. दक्षिण चीन सागर में जिशा और नानसा द्वीप

(Xisha and Nansha islands in the South China Sea)

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) नौसेना ने जिशा और नानसा द्वीप समूह की पुनः प्राप्ति की 70वीं वर्षगांठ मनायी। जिशा और नानसा दक्षिण चीन सागर में स्थित पार्सेल और स्प्रेटली द्वीपों का चीनी नाम है।

- **काहिरा घोषणा और पॉट्सडैम उद्घोषणा** का अनुपालन करने के लिए, नवंबर-दिसंबर 1946 में चीन द्वारा नामित अधिकारी चार युद्धपोतों के साथ, इन द्वीपों को अपने कब्जे में लेने हेतु आगे बढ़े। ये द्वीप अवैध रूप से जापान के कब्जे में थे।
- दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन के दावे को वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान द्वारा चुनौती दी गई।

3.11. शंगरी ला वार्ता: एशिया सुरक्षा सम्मेलन

(Shangri La Dialogue: Asia Security Summit)

एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन (Asia Security Summit) का प्रारंभ वर्ष 2002 में ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एवं सिंगापुर सरकार द्वारा किया गया।

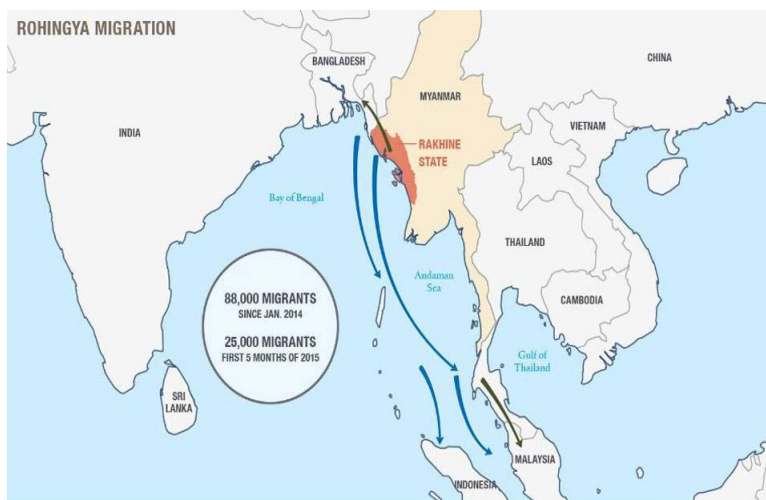
- यह वार्षिक संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा के विषय में चर्चा हेतु एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 28 देशों के रक्षा मंत्रियों और सैन्य प्रमुखों को एक साझा मंच प्रदान करता है।
- इसका नामकरण सिंगापुर में इसके आयोजन स्थल शंगरी-ला होटल के नाम पर हुआ है।
- भारत के रक्षा मंत्री ने 15वें शंगरी-ला सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

3.12. रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue)

सुर्खियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या मुस्लिमों की बड़े पैमाने पर हत्याओं की तथा सामूहिक बलात्कार किये और उनके गांवों को जला दिया।
- बांग्लादेश म्यांमार के साथ 168 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। बांग्लादेश ने और अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने से इन्कार कर दिया है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई के कारण प्रवासन का मुद्दा उत्पन्न हुआ है।



रोहिंग्या समूह के बारे में

- म्यांमार में एक मिलियन से अधिक लोगों की रोहिंग्या के रूप में पहचान की जाती है। रोहिंग्या एक मुख्य मुस्लिम समूह है, जो मुख्यतः म्यांमार के पश्चिमी तट पर स्थित रखाइन राज्य में निवास करते हैं।
- वे सूफी सम्प्रदाय से प्रभावित सुन्नी इस्लाम को मानते हैं।

3.13. रायसीना वार्ता

(Raisina Dialogue)

सुर्खियों में क्यों?

- रायसीना वार्ता के दूसरे संस्करण की थीम 'दि न्यू नॉर्मल: मल्टीलेटरलिज्म विद मल्टी-पोलैरिटी' ('The New Normal: Multilateralism with Multipolarity') थी।
- सम्मेलन में 65 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रायसीना वार्ता के बारे में

- इसे भारत की भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के प्रमुख सम्मेलन के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- इसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ORF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है।
- सम्मेलन का पहला संस्करण मार्च 2016 में "एशियाई कनेक्टिविटी" की थीम पर आयोजित किया गया था।

3.14. अलेप्पो की लड़ाई

(Battle of Aleppo)

सुर्खियों में क्यों ?

सीरियाई सरकार ने अलेप्पो शहर के पूर्वी भाग में 85% से अधिक हिस्से में पुनः अधिकार कर लिया। इससे पहले यह शहर 2012 में विद्रोहियों के कब्जे में चला गया था।

अलेप्पो की लड़ाई सीरियाई विद्रोहियों की बशर अल असद सरकार के विरुद्ध, और कुर्दों के पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के विरुद्ध एक बड़ी सैन्य झड़प थी। सीरियाई विद्रोहियों के समूह में फ्री सीरियन आर्मी और लेवंत फ्रंट एवं अल-कायदा से संबद्ध अल-नुसरा फ्रंट जैसे सुन्नी लड़ाके शामिल हैं, तथा बशर अल असद सरकार को रूस, हिज्बुल्लाह और शिया लड़ाकों द्वारा समर्थन प्राप्त है।

अलेप्पो के बारे में

- 2011 में, अलेप्पो 25 लाख की आबादी वाला सीरिया का सबसे बड़ा शहर था।
- यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसे टाइम मैगज़ीन द्वारा सीरिया की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है।
- अरब क्रांति (अरब स्प्रिंग) के एक भाग के रूप में, यहाँ 15 मार्च 2011 से राष्ट्रपति असद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ।
- इसके एक वर्ष से भी अधिक समय बाद, मई 2012 में अलेप्पो में व्यापक विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हुआ।

3.15. सीरिया के लिए रूसी-तुर्की शांति पहल

(Russian-Turkish Peace Initiative for Syria)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के लिए रूसी-तुर्की शांति पहल के समर्थन में एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इस प्रस्ताव में संघर्ष विराम तथा जनवरी 2017 में कजाखस्तान में वार्ता भी शामिल है।

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य सीरिया सरकार के समर्थक रूस और ईरान तथा विद्रोही समूहों के समर्थक तुर्की के मध्य नए सिरे से वार्ता के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।
- स्वीकृत प्रस्ताव में, सम्पूर्ण सीरिया में मानवीय सहायता की "तेज, सुरक्षित और निर्बाध" ("rapid, safe and unhindered") पहुँच सुनिश्चित किए जाने की भी बात की गई है।
- ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, वर्ष 2016 में इस संघर्ष में लगभग 50000 लोगों की मृत्यु हुई।

3.16. तुर्की में तख्तापलट का प्रयास असफल

(Failed Coup in Turkey)

हाल ही में तुर्की सेना के एक वर्ग द्वारा राष्ट्रपति तईप एरडोगन (जो वर्ष 2003 से सत्ता में है) की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गयी। सरकार ने अमेरिका में निवास करने वाले एक शक्तिशाली, एकांतप्रिय मुस्लिम मौलवी फेथुल्लाह गुलेन पर अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए उसे दोषी ठहराया है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की

प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ऑटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात 1923 में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई।

- इसके संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क 1938 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति थे। उनके उत्तराधिकारी इस्मैत इनोनु ने 1946 में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की।
- तुर्की ने 1960, 1971 और 1980 में दमनकारी सैन्य तख्तापलट का सामना किया।
- 1997 में तुर्की सेना ने वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तईप एरडोगन के दिवंगत गुरु नेकमेत्तीन एर्बकन (Necmettin Erbakan) को भी प्रधानमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था।

3.17. दक्षिण सूडान में सशस्त्र संघर्ष

(Armed conflict in South Sudan)

सरकार और विपक्षी बलों के बीच दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में सशस्त्र संघर्ष भड़क उठा, जिससे गृह युद्ध की वापसी की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा, दक्षिण सूडान के विवादित क्षेत्र अबयेई (Abyei) में विद्रोहियों ने एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

हाल के संघर्ष

- अंदरूनी कलह के लिए दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सेल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रिएक माचर मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
- दोनों नेता 2013 के उत्तरार्द्ध से सत्ता संघर्ष में उलझे हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा उप राष्ट्रपति पर तख्तापलट के माध्यम से उन्हें बेदखल करने की कोशिश का आरोप लगाया गया।
- वर्तमान संघर्ष सेल्वा कीर, जो दिनका जनजाति के सदस्य हैं, के वफादार सैनिकों और रिएक माचर जोकि एक नुएर (a Nuer) हैं, के समर्थकों के बीच एक चेकपोस्ट पर हुए एक घातक विवाद के साथ प्रारंभ हुआ।

ऑपरेशन संकट मोचन

- सरकार ने दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जुलाई 2016 में ऑपरेशन 'संकट मोचन' प्रारम्भ किया।
- यह जुलाई 2015 में यमन में फंसे भारत और अन्य देशों के सैकड़ों नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन राहत के बाद पहला बड़ा निकासी (evacuation) प्रयास है।

अबयेई के बारे में

अबयेई सूडान और दक्षिण सूडान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यह क्षेत्र एक ऊर्जा संपन्न क्षेत्र है।

यू एन मिशन इन साउथ सूडान (UNMISS)

यू एन मिशन इन साउथ सूडान (UNMISS) में 2,500 भारतीय सैनिक हैं।

दक्षिण सूडान के बारे में

- 2011 में, दक्षिण सूडान अपने पड़ोसी उत्तरी सूडान से अलग हुआ। यह विभाजन अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों की मध्यस्थता से दुनिया के सबसे लंबे सिविल युद्धों में से एक को समाप्त करने के लिए एक विवादास्पद समाधान था।
- विभाजन के साथ दक्षिण सूडान, जो कि मुख्य रूप से ईसाई देश है और उसके मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश सूडान के बीच दशकों से जारी रक्तपात और हिंसा का दौर समाप्त हो गया।



3.18. कोलंबियाई क्रांतिकारी सशस्त्र बल

(Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC))

- कोलंबिया सरकार और FARC विद्रोहियों ने गृह-युद्ध की समाप्ति के लिए युद्धविराम और निरस्त्रीकरण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता "द्विपक्षीय युद्ध विराम, शत्रुता की समाप्ति तथा अस्त्रों को निर्णायक रूप से त्यागे जाने" संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करता है।
- इस समझौते में किसी लैटिन अमेरिकी देश में सबसे लंबे समय तक चले गृह युद्ध को अंतिम रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव है।
- कोलम्बियाई संघर्ष, भूमि अधिकारों के लिए 1960 में एक ग्रामीण विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था जो कम्युनिस्ट FARC के उदय का कारण बना। दशकों से जारी इस संघर्ष में विभिन्न वामपंथी विद्रोही समूह, दक्षिणपंथी अर्द्धसैनिक बल और ड्रग्स गिरोह शामिल होते रहे हैं।

3.19. ब्राजील में सत्ता परिवर्तन

(Regime Change in Brazil)

ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रॉसेफ को सीनेट में महाभियोग द्वारा देश के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 13 वर्ष का वामपंथी शासन समाप्त हो गया।

रॉसेफ पर महाभियोग का कारण

- सुश्री रॉसेफ की लोकप्रियता पिछले एक वर्ष में तेजी से कम हुयी है। इसका मुख्य कारण गहराता आर्थिक संकट और बढ़ता भ्रष्टाचार है। उनकी वर्कर्स पार्टी (PT) के कई नेता भी इन भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलग्न हैं।

- सुश्री रॉसेफ द्वारा उठाए गए कुछ कदमों जैसे घाटे को नियंत्रित करने हेतु सार्वजनिक व्यय में कटौती आदि अनुत्पादक सिद्ध हुए। इन कदमों के चलते PT पार्टी ने अपने पारंपरिक समर्थन बेस अर्थात् कामकाजी लोगों का समर्थन खो दिया है।

3.20. प्रवासी और शरणार्थी

Migrants and Refugees

3.20.1. प्रवासियों और शरणार्थियों पर न्यूयॉर्क घोषणा

(New York Declaration on Migrants and Refugees)

UN महासभा ने 193 सदस्य देशों के नेताओं के साथ शरणार्थियों और प्रवासियों के व्यापक स्तर पर होने वाले आवागमन को संबोधित करने हेतु सितंबर 2016 में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का परिणाम न्यूयॉर्क घोषणापत्र था।

घोषणा का उद्देश्य

- यह घोषणा मानव जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने एवं वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी साझा करने के लिए विश्व के नेताओं की राजनैतिक इच्छाशक्ति को अभिव्यक्त करती है।
- इस घोषणा का उद्देश्य संसाधनों पर तनाव उत्पन्न करने वाले एवं अफ्रीका से यूरोप तक विभाजन को बढ़ावा देने वाले शरणार्थी संकट को बेहतर रूप से समन्वित करना एवं इसके संबंध में मानवीय प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

शरणार्थी

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यू एन रिफ्यूजी एजेंसी) के अनुसार शरणार्थी, सशस्त्र संघर्ष या उत्पीड़न के कारण पलायन हेतु विवश हुए लोग हैं, जबकि प्रवासी एक बेहतर जीवन की खोज में स्थानांतरण के विकल्प का चयन करते हैं।
- वर्तमान में विश्व भर में लगभग 21.3 मिलियन शरणार्थी, 3.2 मिलियन शरण के इच्छुक एवं 40.8 मिलियन प्रवासी हैं।

इसकी प्रतिबद्धतायें क्या हैं?

न्यूयॉर्क घोषणा, वर्तमान में हमारे सम्मुख व्याप्त समस्याओं का समाधान करने और विश्व को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु ठोस प्रतिबद्धताएँ व्यक्त करती है। इसमें निम्नलिखित प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं:

- सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी शरणार्थियों और प्रवासियों के मानव अधिकारों का संरक्षण। इसमें महिलाओं और लड़कियों के अधिकार एवं समाधान खोजने में उनकी पूर्ण, समान एवं सार्थक भागीदारी सम्मिलित है।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी शरणार्थी और प्रवासी बच्चे आने के कुछ ही महीनों के भीतर शिक्षा प्राप्त करने लगे।
- यौन हिंसा एवं लिंग-आधारित हिंसा की रोकथाम करना एवं उसके प्रति अनुक्रिया करना।
- शरणार्थियों एवं प्रवासियों की बड़ी संख्या का बचाव करने वाले, शरण देने वाले एवं मेजबानी करने वाले देशों को समर्थन प्रदान करना।
- शरणार्थियों एवं प्रवासियों के विरुद्ध विद्वेष की दृढ़तापूर्वक निंदा करना एवं इसका प्रतिरोध करने के लिए विश्वव्यापी अभियान का समर्थन करना।
- प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में समाविष्ट कर प्रवासन के वैश्विक शासन को मजबूत बनाना।
- कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं: यह घोषणा कोई ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करती एवं यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि शरणार्थियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करने, मानवीय सहायता एवं शरणार्थियों के पुनर्वास में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए देशों का आह्वान करती है।

3.20.2. पर्यावरणीय शरणार्थी

(Environmental Refugees)

- विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ती संख्या में लोग सूखा, अकाल, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जन्य अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन का सामना कर रहे हैं।
- प्रवासियों के इस वर्ग को 'पर्यावरणीय शरणार्थियों' के रूप में चिह्नित किया गया है।
- आंतरिक विस्थापन की प्रवृत्तियों की समीक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय निकाय इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मोनिटरिंग सेंटर के अनुसार, 2008 के बाद से 24 मिलियन लोग प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हो रहे हैं।

- यह संकट दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोगों को 2100 तक "पर्यावरणीय शरणार्थी" बना देगा।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन (1951)

- यह, नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह या राजनीतिक मत से जुड़ाव के कारण होने वाले उत्पीड़न से जान बचाकर भागने वाले लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है।
- उन्हें ये अधिकार, गैर-भेदभावपूर्ण, गैर-दंडात्मक, और गैर-दमनात्मक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर प्रदान किए गए हैं।
- हालांकि, पर्यावरणीय आपदाओं के कारण पलायन कर रहे लोगों को अंतरराष्ट्रीय कानून में शरणार्थी जैसा कोई दर्जा नहीं दिया जाता, जिस कारण उन्हें पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति का कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

पेरिस समझौता

पेरिस समझौते की प्रस्तावना में 'प्रवासियों' के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस संकट की गंभीरता की तुलना में यह अत्यंत कमजोर प्रयास है। यहाँ तक कि प्रस्तावना के बाद समझौते के अनुवर्ती मूल पाठ में भी समस्या को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है।

- पेरिस समझौते के लॉस एंड डैमेज सेक्शन के पैराग्राफ 50 के तहत एक टास्क फोर्स के गठन का प्रावधान किया गया है। यह टास्क फोर्स जलवायु प्रवास से संबंधित मौजूदा कार्य को आगे बढ़ाएगा तथा जलवायु प्रवास को संबोधित करने के संबंध में सिफारिश करेगा।
- परंतु यह प्रावधान दो प्रकार से अर्थहीन साबित होते हैं- प्रथम, गठित टास्क फोर्स की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं; और दूसरा, इसके कार्य, संचालन, फंडिंग तथा अन्य पहलुओं के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है।

3.20.3. शरणार्थियों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

(UNICEF Report on Refugees)

सुर्खियों में क्यों?

यूनिसेफ ने 7 सितंबर 2016 को एक रिपोर्ट "अपरूटेड: द ग्रोइंग क्राइसिस फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन" नाम से जारी की।

मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में करीब 50 लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं तथा लाखों की संख्या में बच्चे एक बेहतर और सुरक्षित जीवन पाने की आशा में पलायन कर रहे हैं।
- वे संघर्ष और हिंसा के सदमे में पलायन कर रहे हैं, उन्हें आगे जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा वह निम्नलिखित हैं:
 - ✓ समुद्र पार करने के दौरान डूबने का खतरा,
 - ✓ कुपोषण,
 - ✓ तस्करी,
 - ✓ बलात्कार और हत्या।
- अपनी यात्रा के दौरान वे जिन देशों से गुजरते हैं, वहां एवं उनके गंतव्यों पर भी उन्हें प्रायः विद्वेष और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- दुनिया में प्रत्येक 200 बच्चों में से 1 एक बच्चा शरणार्थी है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल

- कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989
 - कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजी (1951) एंड प्रोटोकॉल (1967)
 - भूमि, समुद्र और वायु के रास्ते प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (2000)
 - सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1990)।
- कई देशों द्वारा अब तक इनकी पुष्टि करना शेष है। इनकी पुष्टि शरणार्थियों की संक्षरण को मजबूत करेगी।

3.21. एसेम शिखर सम्मेलन: उलान बटोर घोषणा

(Ulaan Baatar Declaration @ ASEM Summit)

- 11वीं एशिया-यूरोप मीटिंग समिट (ASEM) मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुयी।
- उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- ASEM एक अनौपचारिक अंतर-क्षेत्रीय संवाद है जोकि राजनीतिक, सुरक्षा, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

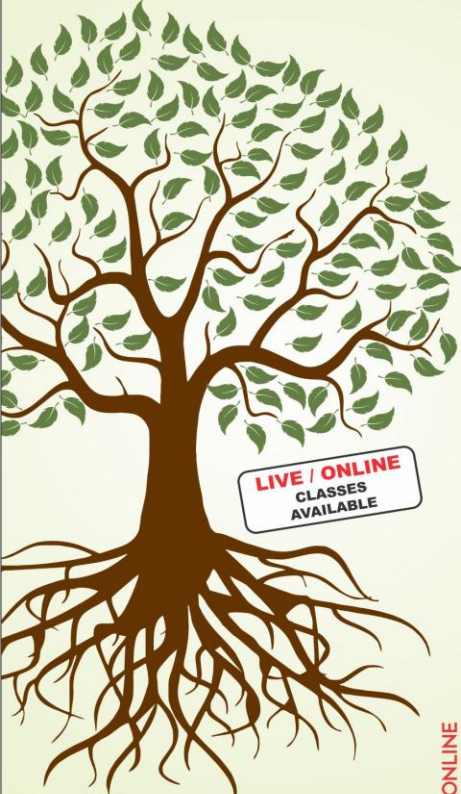
ASEM के बारे में

इसे आधिकारिक तौर पर 1 मार्च, 1996 को हुए इसके प्रथम शिखर सम्मलेन के दौरान बैंकॉक (थाईलैंड) में स्थापित किया गया।

- इसका उद्देश्य आपसी सम्मान और समान भागीदारी की भावना से दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
- ASEM के 53 भागीदार हैं। भारत भी ASEM का हिस्सा है।

ASEM प्रक्रिया के मुख्य घटक निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित हैं:

- राजनीतिक स्तंभ
- आर्थिक स्तंभ
- सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तंभ



"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE

GS PRELIM cum MAINS 2018

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

DELHI		
Regular Batch		Weekend Batch
7 June 9 AM	22 June 1 PM	24 June 9 AM

PUNE | JAIPUR | HYDERABAD | 15th May

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018 (Online Classes only)
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

ONLINE Students

4. बहुपक्षीय व्यापार

(MULTILATERAL TRADE)

4.1 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)

(Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP))

सुर्खियों में क्यों?

- भारत, सीमित परिवर्तनों के साथ सभी RCEP सदस्य देशों को समान रूप से टैरिफ कटौती देने हेतु सहमत हो गया है। इससे चीन को अनुचित लाभ होता है।
- इससे पहले भारत ने त्रि-स्तरीय टैरिफ व्यवस्था को (3-layer tariffs) प्रस्तावित किया था।
- जापान, एकल स्तरीय व्यवस्था (single-tier system) हेतु दबाव बना रहा था, जिस पर अब भारत ने अपनी सहमति दे दी है।

RCEP के संबंध में,

- RCEP एक मेगा ट्रेड डील है, जिसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करना है।
- 16-सदस्यीय RCEP में 10 आसियान सदस्य (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम) तथा उनके मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreement) के भागीदार 6 देश - भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं।

4.2. चीन की 'वन बेल्ट, वन रोड' (OBOR)'पहल

(China's OBOR Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की लातविया यात्रा के दौरान एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही लातविया बाल्टिक सागर क्षेत्र में चीन की बेल्ट और रोड पहल के साथ जुड़ने वाला प्रथम देश बन गया।

सिल्क रोड ट्रेन

- चीन के 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम के भाग के रूप में, चीन से ब्रिटेन की पहली डायरेक्ट रेल फ्रेट सर्विस अपनी 18 दिवसीय यात्रा पूरी कर लंदन पहुंची।
- ट्रेन चीन के पूर्वी तट पर स्थित यिवु शहर से रवाना हुई और UK में फ्रेट डिपो तक पहुंचने से पहले इसने सात देशों को पार कर 12,000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न की।

OBOR के बारे में

- इस पहल में सिल्क रोड इकनोमिक बेल्ट और 21 वीं सदी का मेरीटाइम सिल्क रोड सम्मिलित हैं।
- इस पहल को वर्ष 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- इसका उद्देश्य पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देना है। चीन के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:
- आर्थिक विविधीकरण
- राजनीतिक स्थिरता और
- एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास

4.3. चीन पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर

(CPEC)

चीन ने एक निर्यात जहाज को मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए रवाना करके ग्वादर बंदरगाह से एक नये अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग का प्रारंभ किया। यह बंदरगाह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) परियोजना का शोपीस है। बीजिंग विश्व शक्ति बनने के लिए CPEC परियोजना को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता है।

CPEC और पाकिस्तान

- पाकिस्तान में CPEC निवेश से 1970 के बाद से सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पार करने की उम्मीद है।
- पाकिस्तान में CPEC द्वारा 7 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की संभावना है।
- यह चीन और पाक के बीच सहयोग बढ़ाएगा।

बलूच दृष्टिकोण

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, जहां ग्वादर स्थित है, में लोग CPEC के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि CPEC का लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा।

CPEC और भारत

- भारत CPEC से नाखुश है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है।
- बलूच कार्यकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी दुर्दशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत से सहायता की अपेक्षा रखते हैं।
- चीन-पाक धुरी पहले से ही चर्चा में है और यह भारत के लिए चिंता का विषय है।

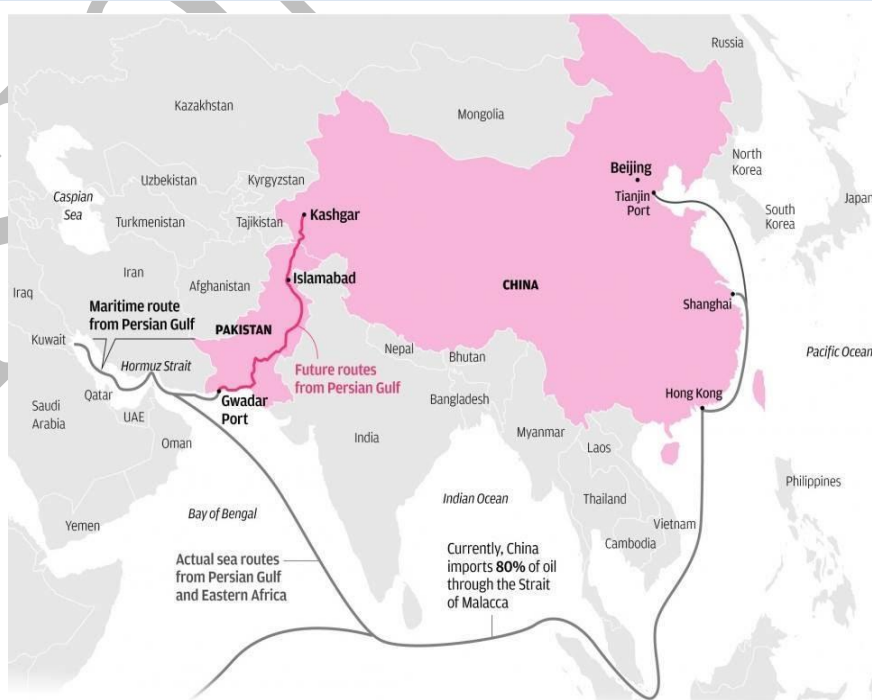
CPEC बारे में

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों से मिलकर बना एक 3,218 किलोमीटर लम्बा मार्ग है, जो कि ग्वादर बंदरगाह को चीन में झिजियांग से जोड़ेगा। CPEC चीन की 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल के लिए महत्वपूर्ण है, इस पहल का उद्देश्य चीन को यूरोप और एशिया से जोड़ना है।

4.4. एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक (AIIB)

(Asian Infrastructure Investment Bank [AIIB])

- एशिया के कई देशों के समक्ष बुनियादी सुविधाओं में कमी, कमजोर अंतःक्षेत्रीय और क्षेत्रीय जुड़ाव और शहरी क्षेत्रों में लगभग नगण्य सुविधायें आदि कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध करने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) को एक "एशियाई टूल" (Asian tool) के रूप में देखा जा रहा है।



AIIB के बारे में

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग प्रदान करना है।

- 4 नवंबर 2015 को चीन की शीर्ष विधायिका ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) समझौते को मंजूरी दी, जो बैंक के लिए कानूनी ढांचे को स्थापित करता है।
- इसमें 37 संस्थापक सदस्य हैं। भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है।

निर्माण	कार्य प्रारंभ - 16 जनवरी 2016 (Open for business) 25 दिसम्बर 2015 -समझौते के प्रावधानों का प्रभावी होना (Entry into force Articles of Agreement)
प्रकार	क्षेत्रीय निवेश बैंक (Regional Investment Bank)
उद्देश्य	ऋण प्रदान करने के लिए (Crediting)
मुख्यालय	बीजिंग, चीन

4.5. ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी

(Trans-Pacific Partnership)

सुर्खियों में क्यों?

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि वे अपने कार्यालय के पहले ही दिन TPP का त्याग कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से देश को TPP व्यापार सौदे से अलग कर लिया है। अमेरिका अपने लिए अधिक अनुकूल अवसरों की तलाश में TPP हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ द्विपक्षीय समझौते का अनुसरण करेगा।

TPP के बारे में

- यह 12 पैसिफिक रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है जिस पर 4 फरवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए। इन 12 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य इन देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को सुगम बनाना, तथा श्रम मानकों, पर्यावरण के मुद्दों, व्युत्पत्ति मानदंड (origin criteria) और बौद्धिक संपदा के विषय में नियमों को मजबूत करना है।
- TPP समझौता विश्व अर्थव्यवस्था के 40 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगा।



4.6 ब्राजील ने मर्कोसुर को विस्तारित करने के लिए भारत से आग्रह किया

(Brazil Urges India to Broaden MERCOSUR)

वर्तमान में भारत के मर्कोसुर के साथ 450 से अधिक टैरिफ लाइनें हैं, तथा इन टैरिफ लाइनों को 4000 तक बढ़ाने का प्रयास है। यह कदम मर्कोसुर के माध्यम से दक्षिण अमेरिका में भारत के वाणिज्यिक और बहुपक्षीय आयामों का विस्तार करेगा।

मर्कोसुर के बारे में

यह एक उप-क्षेत्रीय गुट है जिसका लक्ष्य मुफ्त व्यापार एवं वस्तुओं, व्यक्तियों और मुद्रा के सुगम प्रवाह को बढ़ावा देना है। इसके पूर्ण सदस्य देश अर्जेंटीना, ब्राजील, परागुए, उरुग्वे और वेनेजुएला (दिसंबर, 2016 से निलंबित) हैं।

4.7. ट्रांस-अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (TTIP)

(Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP))

- TTIP यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित एक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य व्यापार और विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर या कम करके यूरोपीय संघ और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।
- यह समझौता अभी वार्ता के स्तर पर है, जो मुख्यतः तीन व्यापक क्षेत्रों से सम्बंधित हैं: बाजार पहुंच (market access); विशिष्ट विनियमन (specific regulation); और व्यापक नियम एवं सिद्धांत (broader rules and principle) तथा सहयोग (co-operation)।

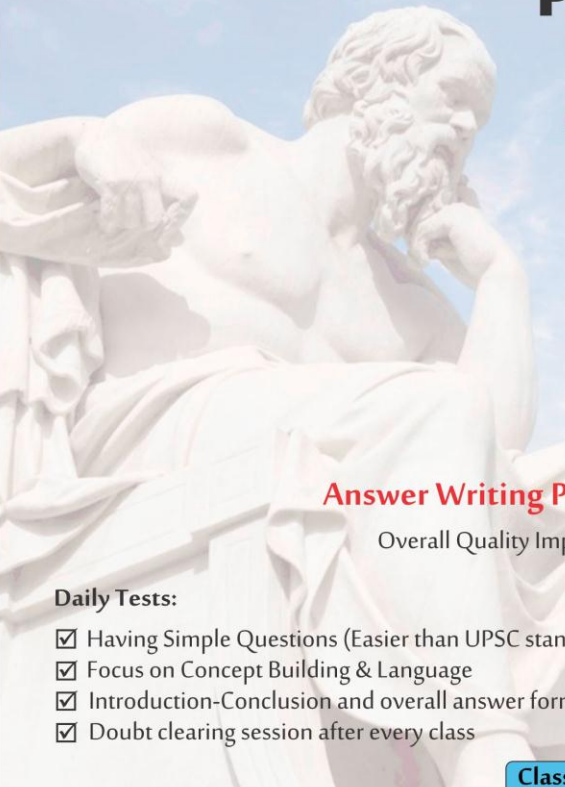
4.8 एपेक शिखर सम्मेलन 2016

(APEC SUMMIT 2016)

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation-APEC) के आर्थिक नेताओं की बैठक नवंबर 2016 में पेरू के लीमा में हुई थी।

एपेक से सम्बंधित तथ्य:

- APEC एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाओं (मुख्यालय सिंगापुर) का एक मंच है जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना 1989 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं की एक-दूसरे पर बढ़ती हुई अंतरनिर्भरता की परिस्थितियों में की गयी थी। साथ ही इसका उद्देश्य विश्व के अन्य भागों में क्षेत्रीय व्यापार ब्लाकों की स्थापना से उत्पन्न व्यापार चुनौतियों का सामना करना भी था।
- **सदस्य देश:** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग (चीन), इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपेई, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम।



PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ✓ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ✓ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ✓ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ✓ Effective Answer Writing
- ✓ Printed Notes
- ✓ Revision Classes
- ✓ All India Test Series Included

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

- ✓ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- ✓ Focus on Concept Building & Language
- ✓ Introduction-Conclusion and overall answer format
- ✓ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

- ✓ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- ✓ Copies will be evaluated within one week

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

Classes at Jaipur & Pune

5. रिपोर्ट/ सूचकांक

(REPORTS / INDEXES)

5.1. अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक (GPI) 2016

(Global Peace Index [GPI] 2016)

Nation	GPI-2016
Bhutan	13 th
Nepal	78 th
Bangladesh	83 rd
Sri Lanka	97 th
India	141 st
Pakistan	153 rd
Afghanistan	160 th

ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) 'राष्ट्रों और क्षेत्रों' में शांति की सापेक्षिक स्थिति को मापने का एक प्रयास है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकॉनोमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) द्वारा जुटाए गए आंकड़ों और शांति संस्थानों के शांति विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल के साथ विचार विमर्श करके इसे विकसित किया गया है।

GPI -2016 के मुख्य बिंदु

- भारत का GPI-2016 में 141वां स्थान (163 देशों में से) है। 2016 में हिंसा से भारत की अर्थव्यवस्था को 679.80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 9%, या प्रति व्यक्ति 525 डॉलर है।
- आइसलैंड को सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा मिला और इसके बाद डेनमार्क और ऑस्ट्रिया को स्थान दिया गया है।
- सीरिया को सबसे कम शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया तथा इसके बाद दक्षिण सूडान, इराक और अफगानिस्तान को रैंकिंग प्रदान की गयी है।

5.2 गुड कंट्री इंडेक्स

(Good Country Index)

- यह ब्रिटिश सरकार के एक सलाहकार साइमन अनहोल्ड (Simon Anholt) द्वारा स्थापित वर्ष में दो बार (अर्ध-वार्षिक) जारी किया जाने वाला इंडेक्स है।
- यह विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों के हितों एवं मानवता के लिए किए गए वैश्विक योगदान का आकलन करता है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक योगदान सहित संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के 35 सूचियों (indices) को ध्यान में रखता है।
- इस इंडेक्स में 2015 में भारत का स्थान 163 देशों के बीच 70 वाँ है, स्वीडन प्रथम स्थान पर है।
- इसका उद्देश्य "देशों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे उपायों की खोज करना है, जिससे देशों के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय और अधिक बढ़े तथा उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा में कुछ कमी आए।"

5.3. ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2016

(The World Happiness Report, 2016)

ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में 155 देशों में भारत का 122वाँ स्थान है जोकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 4 स्थान नीचे है।

ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में

ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट साल्यूशंस नेटवर्क (SDSN)' के द्वारा प्रकाशित की जाती है।

यह रिपोर्ट प्रसन्नता के सूचकों के रूप में निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करती है:

- प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
- जीवन प्रत्याशा
- सामाजिक सहायता
- जीवन में अपने विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता

6. विविध

(MISCELLANEOUS)

6.1. सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P)

(Responsibility to Protect [R2P])

R2P या RtoP, वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध, नस्लीय हिंसा (ethnic cleansing) और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए व्यक्त की गयी वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है।

R2P के प्रमुख आधार

वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में तैयार किये गए दस्तावेज में निर्धारित (Stipulated) और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की 2009 की रिपोर्ट में व्यक्त किये गए R2P के तीन प्रमुख आधार हैं :

- नरसंहार, युद्ध-अपराध, नस्लीय हिंसा (ethnic cleansing) और मानवता के विरुद्ध अपराध करने अथवा ऐसे कृत्यों के लिए भड़काने से रोकने तथा नागरिकों की रक्षा करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य का है ;
- राज्यों को प्रोत्साहित करने और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में राज्यों की सहायता करने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की है;
- इसके अतिरिक्त राजनयिक, मानवीय और अन्य साधनों के उपयोग के द्वारा इन अपराधों से नागरिकों की रक्षा करना भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक प्रमुख जिम्मेदारी है।
- इसके अतिरिक्त यदि राज्य घोषित रूप से अपने नागरिकों की रक्षा करने में असफल रहता है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सामूहिक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

6.2. वैश्विक निवेश समझौता

(Global Investment Agreement)

सुखियों में क्यों?

- भारत ने ब्राजील, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों के साथ, यूरोपीय संघ और कनाडा के एक अनौपचारिक प्रयास को खारिज कर दिया है जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन में एक वैश्विक निवेश समझौते की दिशा में काम करना है।
- यूरोपीय संघ और कनाडा ने एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें वर्तमान में चल रहे विवादास्पद निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र (Investor-State Dispute Settlement mechanism: ISDS) को शामिल किया गया है।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र क्या है?

- ISDS तंत्र विवादास्पद बन गया है, क्योंकि यह कंपनियों को आर्बिट्रेशन के सभी स्थानीय उपायों का इस्तेमाल किये बिना सीधे ही सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले जाने की अनुमति देता है।
- यह कंपनियों को नीति में परिवर्तन सहित विभिन्न अन्य कारणों से हुई हानियों का हवाला देते हुए अत्यधिक मुआवजा राशि का दावा करने की अनुमति भी देता है।

6.3 विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2017

(World Day of Social Justice 2017)

UNGA (United Nations General Assembly) ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया।

सम्बंधित तथ्य :

- इसका उद्देश्य सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- यह गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार एवं सभी के लिए सामाजिक कल्याण और न्याय हेतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयत्नों को बढ़ावा देता है, ।
- 2017 के विश्व दिवस की थीम थी: "प्रेवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनिंग पीस थ्रू डिसेंट वर्क (Preventing conflict and sustaining peace through decent work)"।

6.4 IRCH की बैठक

(IRCH Meeting)

- आयुष मंत्रालय ने इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन (International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines-IRCH) की 9 वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया।

IRCH के सम्बन्ध में तथ्य:

- IRCH की स्थापना 2006 में हुई थी। भारत 2007 से इसका एक सक्रिय सदस्य रहा है।
- यह हर्बल दवाइयों के विनियमन के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकारियों का WHO द्वारा गठित एक वैश्विक नेटवर्क है।
- इसका उद्देश्य हर्बल दवाओं के बेहतर विनियमन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।

6.5 मृत्युदंड : एमनेस्टी रिपोर्ट

(Capital Punishment: AMNESTY Report)

- मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सम्पूर्ण विश्व के सन्दर्भ में मृत्युदंड पर एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- विश्व भर में 2015 में 25 वर्षों में सबसे ज्यादा मृत्युदंड के मामले दर्ज किए गए।
- पिछले वर्ष कम से कम 1,634 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। यह 2014 की तुलना में 50% अधिक था।
- 2015 में ईरान ने 977 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जिसमें अधिकतर ड्रग से जुड़े अपराधों के लिए था।
- 2015 में पाकिस्तान ने 326 लोगों को मृत्युदंड दिया, जो पाकिस्तान में एमनेस्टी द्वारा दर्ज की गई अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है।
- चार और देशों ने 2015 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, और अब ऐसे देशों की संख्या 102 है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल से सम्बंधित तथ्य:

- इसकी स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी।
- यह मानवाधिकारों पर केंद्रित एक गैर-सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 7 मिलियन से अधिक लोगों के समर्थन का दावा करता है।
- संगठन का उद्देश्य "मानवाधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को रोकने और समाप्त करने के लिए अनुसंधान एवं कार्रवाई करना है। इसके साथ ही संगठन का उद्देश्य यह भी है कि जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उनके लिए न्याय की व्यवस्था की जाए।

6.6 ICN 2018 : वार्षिक सम्मेलन

(ICN 2018 Annual Conference)

- इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क (ICN) ने 2018 में ICN वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। CCI 2003 के बाद से ICN का सदस्य है।

ICN से सम्बंधित तथ्य:

- ICN एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके 132 सदस्य हैं तथा यह विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के प्रवर्तन के लिए समर्पित हैं।
- यह प्रतिस्पर्धा संबंधी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों को एक विशेष और अनौपचारिक मंच प्रदान करता है।
- यह संगठन अनुभव बांटने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम दृष्टिकोणों को अपनाने में सक्षम बनाता है।

6.7 राधिका मेनन

(Radhika Menon)

- कैप्टन राधिका मेनन अंतराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) से 2016 में समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली दुनिया की प्रथम महिला बन गई हैं।

- उन्होंने सात मछुआरों का जीवन उस समय बचाया, जब खराब मौसम में उन मछुआरों की नाव इंजन फेल होने और एंकर खराब होने के कारण बदतर स्थिति में थी।

IMO के बारे में

इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (IMO) संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। जिसे शिपिंग को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। संगठन का मुख्यालय लंदन में है। इसके 172 सदस्य देश और 3 एसोसिएट सदस्य हैं।

6.8 वियना सम्मेलन

(Vienna Convention)

- पाकिस्तान ने भारत पर राजनयिकों की सुरक्षा से सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, क्योंकि नई दिल्ली ने अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अल्प समय के लिए हिरासत में लिया था।

वियना सम्मेलन से सम्बंधित तथ्य :

- यह 1961 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों को एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- यह एक राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करती है जो राजनयिकों को मेजबान देश में बिना किसी उत्पीड़न एवं डर के अपना कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह राजनयिक प्रतिरक्षा के लिए कानूनी आधार का निर्माण करती है।

6.9 क्यूबेक

(Quebec)

- क्यूबेक सिटी मस्जिद में बंदूकधारियों के गोली चलाने से छह लोगों की मृत्यु हो गई।
- क्यूबेक कनाडा का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है।
- फ्रांस की तरह, क्यूबेक को भी बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के साथ अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसमें अधिकांशतः उत्तर अफ्रीकी प्रवासी हैं।
- हाल के वर्षों में क्यूबेक में इस्लामोफोबिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- चेहरे को ढंकना, या नकाब पहनना, 2015 के कनाडाई संघीय चुनाव में, विशेष रूप से क्यूबेक में, एक बड़ा मुद्दा बन गया, जहां अधिकांश जनसंख्या ने नागरिक समारोहों में इस प्रकार के पहनावे पर प्रतिबन्ध का समर्थन किया।

अन्य सम्बंधित जानकारीयां :

- आर्कटिक सर्किल की भूमि आठ देशों में विभाजित है: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का), कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड) और आइसलैंड।



6.10 भारत ने ग्रीस के साथ ओपेन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किया

(India Signs Open Skies Agreement with Greece):

- इस समझौते के अनुसार, भारत ग्रीस की एयरलाइनों को छह भारतीय महानगरीय हवाई अड्डों के लिए असीमित उड़ान संचालित करने की अनुमति देगा तथा भारतीय विमान भी ऐसे किसी प्रतिबंध के बिना ग्रीस के लिए उड़ान भर सकेंगे।
- ग्रीस हमारी नई नागरिक उड्डयन नीति के अंतर्गत ओपेन स्काई अरेंजमेंट करने वाला प्रथम देश है।
- वर्तमान में, भारत का US के साथ ओपन स्काई अग्रीमेंट पहले से ही विद्यमान है एवं UK के साथ लगभग इसी प्रकार का एक समझौता हुआ है जिसके तहत उड़ानों की संख्या पर कुछ सीमाएं हैं।

- दो देशों के मध्य उनकी एयरलाइन्स द्वारा भरी जाने वाली उड़ानों की संख्या को नियत करने के लिए सम्बद्ध दोनों देशों द्वारा एयर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।
- ओपन स्काई पैकट के तहत, उड़ानों या सीटों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

6.11 भारत-चिली पीटीए (PTA) का विस्तार

(Expansion of India–Chile PTA):

- सितम्बर 2016 में विस्तार के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- विस्तारित अधिमान्ती व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement: PTA) के तहत, चिली ने भारत को 1798 टैरिफ लाइनों (पहले की 296 टैरिफ लाइनों के विपरीत) के लिए रियायतें दी हैं तथा साथ ही भारत ने चिली को 8-डिजिट लेवल (पर 1031 टैरिफ लाइनों (पहले की 178 टैरिफ लाइनों के विपरीत) के लिए रियायतें दी हैं।

LAC देशों में, चिली 2015-16 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

6.12. चागोस द्वीपसमूह विवाद

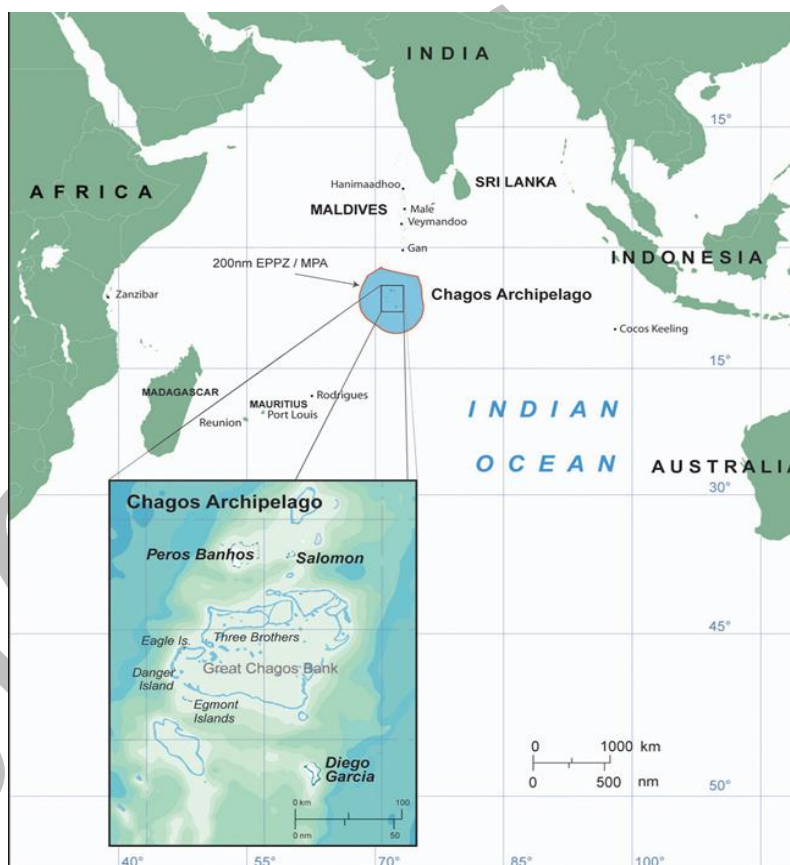
(Chagos Archipelago Dispute)

सुर्खियों में क्यों?

ब्रिटिश विदेश सचिव ने अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया, और हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीपसमूह के भविष्य पर ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरीशस के बीच मौजूदा तनाव को दूर करने में भारत की सहायता की मांग की है।

चागोस द्वीपसमूह के बारे में

- चागोस द्वीपसमूह - ब्रिटेन द्वारा इसे ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसे इस रूप में मॉरीशस द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है। यहीं पर अमेरिकी सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया भी स्थित है।
- 1960 और 1970 के दशक में, निवासियों को इन द्वीपों से हटा दिया गया था।
- मॉरीशस यह कहता आ रहा है कि चागोस द्वीपसमूह इसके क्षेत्र का भाग है और ब्रिटेन का दावा आजादी से पहले औपनिवेशिक प्रदेशों के डिसमैम्बरमेंट (dismemberment) पर प्रतिबंध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का उल्लंघन है।
- 2015 में, स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने सर्वसम्मति से घोषणा की थी कि अप्रैल 2010 में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपसमूह के चारों ओर समुद्री संरक्षित क्षेत्र (marine protected area: MPA) घोषित किया जाना इस अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।



6.13 भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लिया

(India Joins China and Pakistan in Multilateral Exercise)

- तीनों देशों ने थाईलैंड द्वारा आयोजित "कोबरा गोल्ड" बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लिया।
- भारत को "आब्जर्वर प्लस" देश के रूप में अभ्यास के लिए आमंत्रित किया गया था।
- इस अभ्यास में 35 देश शामिल हैं और इस साल की थीम "मानवीय सहायता और आपदा राहत" (Humanitarian assistance and disaster Relief) है।

6.14. 14वाँ प्रवासी भारतीय दिवस- 2017

(14th Edition of Pravasi Bharatiya Divas-2017)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय मूल के लोगों के लिए वार्षिक वैश्विक सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस 2017 का 14 वाँ संस्करण बेंगलुरु में 7 से 9 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया। इस बार इसमें पिछले सभी संस्करणों की तुलना में रिकॉर्ड भागीदारी हुई। प्रवासी भारतीय दिवस 2017 की थीम थी- "प्रवासी भारतीय-संबंधों के नये आयाम (Redefined Engagement with Indian Diaspora)"।

आयोजन के मुख्य बिंदु:

- तीन दिन का यह आयोजन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के साथ आरम्भ हुआ, जिसकी थीम थी- 'भारत के परिवर्तन में डायस्पोरा युवाओं की भूमिका (Role of Diaspora Youth in the Transformation of India)'।
- प्रधानमंत्री ने प्रवासी समुदाय से उनके PIO कार्ड को OCI कार्ड में परिवर्तित करने के लिए आग्रह किया।
- PIO कार्ड के OCI में रूपांतरण के लिए समय सीमा को भी बिना किसी जुर्माने के 30 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।
- प्रवासी भारतीयों से वार्षिक विप्रेषण के रूप में भारत ने 69 अरब डॉलर प्राप्त किये, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक प्राप्त प्रवासी नकदी है।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करने के साथ यह सम्मेलन संपन्न हुआ।

प्रवासी भारतीय दिवस के विषय में

- यह पारंपरिक रूप से एक शताब्दी पूर्व 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 'प्रवासी' के रूप में महात्मा गांधी की वापसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
- यह 2003 में आरम्भ किया गया एक वार्षिक आयोजन है। यह अपने डायस्पोरा और अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस को एक द्विवार्षिक आयोजन बनाने का निर्णय लिया।
- यह प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक व्यवहार को सुसाध्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।
- वर्तमान में, विश्व स्तर पर 3.12 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, जिसमें से 1.34 करोड़ भारतीय मूल के (PIO) और 1.7 करोड़ अनिवासी भारतीय व्यक्ति हैं।

6.15 बॉर्डर हाट

(Border Haats)

- बॉर्डर हाट में स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन के एक पारंपरिक तंत्र की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करना है।
- बॉर्डर हाट के अंतर्गत व्यापार, सीमा के दोनों देशों की मुद्राओं और वस्तु विनिमय के आधार पर, किया जाता है।
- इस तरह के व्यापार का आंकड़ा संबंधित बॉर्डर हाट की हाट प्रबंधन समिति द्वारा रखा जाता है।
- वर्तमान में भारत-बांग्लादेश सीमा पर चार बॉर्डर हाट क्रियाशील हैं। दो बॉर्डर हाट मेघालय में स्थित कलीचाड़ और बलत (Balat) हैं और दो त्रिपुरा में स्थित श्रीनगर और कमलासागर हैं। ऐसे छह और हाट बनाने की योजना है।
- हाल ही में म्यांमार सीमा से लगे हुए बॉर्डर हाट सफल रहे।

6.16 विकास के लिए सतत पर्यटन

(Sustainable Tourism for Development)

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट के रूप में घोषित किया है।
- पर्यटन उद्योग में दुनिया की आर्थिक गतिविधि का 10% हिस्सा शामिल है। इस प्रकार इस क्षेत्र में गरीबी से लड़ने, पारस्परिक समझ को विकसित करने और सांस्कृतिक वार्ता की व्यापक क्षमता है।

- SDGs के संदर्भ में इसका उद्देश्य एक अधिक स्थायी पर्यटन क्षेत्र की नीतियों, व्यापार रीतियों और उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ावा देना है।

6.17 RIMPAC 2016

सुर्खियों में क्यों?

- पिछले साल जून में RIMPAC के द्विवार्षिक अभ्यास के 25 वें संस्करण का आयोजन हवाई में किया गया था।
- स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सतपुरा ने इस अभ्यास में भाग लिया था।

RIMPAC के बारे में

- पहली बार RIMPAC का आयोजन 1971 में किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के सैन्यबल शामिल थे। अन्य नियमित रूप से भाग लेने वाले देश चिली, कोलंबिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, पेरू, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ब्रिटेन हैं।
- पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आयोजित होने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास है।
- भारत ने 2006 में एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें सहभागिता की और 2014 में INS सह्याद्री की तैनाती के साथ इसका पूर्ण भागीदार बन गया।
- इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा कार्यों के लिए प्रक्रियाओं की आम सहमति बनाना है। साथ ही समुद्री सुरक्षा के विकास में वृद्धि करना है।
- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है और ग्लोबल कॉमन्स की शांति और स्थिरता में भी योगदान देता है।

6.18. एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत

(India as a Soft Power)

इसके विषय में

- भारत की सॉफ्ट पॉवर इसकी अपनी हजारों वर्षों की विशाल विरासत पर आधारित है।
- लंदन स्थित पोर्टलैंड कम्युनिकेशंस (एक राजनीतिक परामर्श एवं लोक संबंध संस्थान) द्वारा जारी सॉफ्ट पॉवर की सर्वाधिक क्षमता वाले देशों की दूसरी वार्षिक सूची में सॉफ्ट पॉवर के मामले में भारत को 34वें स्थान पर रखा गया है।

सॉफ्ट पॉवर क्या है?

- सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ न्ये (Joseph Nye) द्वारा विकसित किया गया था। और सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा वस्तुतः आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव (धौंस) का उपयोग किए बिना अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनकी पसंद को आकार प्रदान करने की क्षमता है।
- हार्ड पॉवर में सैन्य और आर्थिक साधन शामिल हैं जबकि सॉफ्ट पॉवर संस्कृति और मूल्यों से संबंधित है।
- सॉफ्ट पॉवर, नेटवर्कों के निर्माण और उनकी लामबंदी, सम्मोहक आख्यानों के प्रादुर्भाव और उनके प्रसार, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना एवं गठबंधनों के निर्माण की कार्यपद्धति में प्रयुक्त की जाने वाली एक रणनीति है। इसका प्रयोग एक देश को दूसरे देश के निकट लाने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाकर, एक दूसरे की सहमति प्राप्त करने किया जाता है।
- सॉफ्ट पॉवर एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

6.19. 'अर्बन प्लस' एप्रोच

('Urban Plus' Approach)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में 'एशिया पसिफिक मिनिस्टीयल कांफ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट' (APMCHUD) के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

अर्बन प्लस एप्रोच

यह एप्रोच शहरी विस्तार को, संधारणीय और प्रबन्धनीय (sustainable and manageable) बनाने के तरीकों को संबोधित करेगा। इसके तहत शहरी क्षेत्रों, अर्द्ध-शहरी (peri-urban) क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण से योजना बनाने पर बल दिया जाएगा।

सम्मेलन के परिणाम

एशिया प्रशांत के देश, जिनमें विश्व की 55 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निवास करती है, अर्बन प्लस एप्रोच अपनाने हेतु सहमत हुए हैं। इसे APMCHUD के निष्कर्ष में अपनाये गए, 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में शामिल किया गया।

नई दिल्ली घोषणापत्र

- नई दिल्ली घोषणापत्र में शहरी क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में दर्शाने के बजाय, उनके विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण से नियोजन की वकालत की गई है।
- घोषणापत्र में वर्तमान में लागू नीतियों की गहन समीक्षा तथा अक्टूबर 2016 में क्विटो (Quito), इक्वाडोर में आवास एवं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, अपनाये गए नए शहरी एजेंडा के प्रसार हेतु नयी नीतियों के निर्माण पर बल दिया गया है।
- शासन को सतत विकास की कुंजी के रूप में चर्चा करते हुए, घोषणापत्र में शहरी क्षेत्रों में प्रभावी शासन संरचनाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया।

6.20. कफाला श्रम व्यवस्था

(Kafala Labour System)

सुर्खियों में क्यों?

कतर ने अपनी विवादास्पद "कफाला" व्यवस्था समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की।

कफाला प्रणाली

कफाला व्यवस्था लेबनान, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मुख्य रूप से, निर्माण कार्य और घरेलू क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी कामगारों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक व्यवस्था है।

- इस व्यवस्था के तहत सभी अकुशल विदेशी कामगारों के लिए वहां एक स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता होती थी जो उनके वीजा और कानूनी स्थिति के लिए जिम्मेदार होते थे। ये स्थानीय प्रायोजक सामान्यतः इनके नियोक्ता होते हैं।
- इस व्यवस्था को आधुनिक गुलामी प्रथा के समान माना जाता था क्योंकि इसमें सुभेद्य श्रमिकों को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं था और बहुधा उनका शोषण किया जाता था।
- कफाला व्यवस्था के तहत कतर में कार्यरत सभी विदेशी कामगारों को एक स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता होती है। यह कोई व्यक्ति या कंपनी हो सकती है। श्रमिकों को अपनी नौकरी बदलने या देश छोड़ने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS
2017 **GS PAPER - 1**

FOUNDATION COURSE
GS MAINS 2017

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

Duration: 110 classes (approximately)

- ✦ Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- ✦ Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series of 2017
- ✦ Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 for 2017 (Online Classes only)
- ✦ Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- ✦ Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination
- ✦ The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Mains 2017 exam.



- ✦ Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- ✦ Includes All India GS Mains and Essay Test Series of 2017
- ✦ Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 for 2017 (Online Classes only)
- ✦ Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- ✦ Includes comprehensive, relevant & updated study material
- ✦ The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Prelims 2018 exam

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

7. सैन्य अभ्यास

(MILITARY EXERCISES)

सिम्बेक्स-15(SIMBEX-15)	भारत और सिंगापुर नौसेना अभ्यास
वरुण -2015(Varuna 2015)	भारत- फ्रांस नौसेना अभ्यास
सुंदरबन मोइत्री (Sundarban Moitry)	सीमा सुरक्षा बल(BSF)और बॉर्डर गार्ड बंगलादेश(BGB)
लामित्ये (LAMITYE)	भारतीय सेना और सेशल्ल पीपल्स डिफेंस फ़ोर्स (SPDF)
हैण्ड इन हैण्ड (Hand-in-Hand)	भारत और चीन की सेना
मित्र शक्ति (Mitra Shakti)	भारत-श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास
कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल(CORPAT)	भारत-इंडोनेशिया बाईलैटरल मैरीटाइम अभ्यास
कोबरा गोल्ड(Cobra Gold)	थाईलैंड में आयोजित एशिया-पेसेफिक सैन्य अभ्यास /भारत ने इसमें भाग लिया
नसीम अल बहर(Naseem Al Bahr)	भारत और ओमान :बाईलैटरल मैरीटाइम अभ्यास
स्लिनेक्स 2015(SLINEX 2015)	श्रीलंका-भारत बाईलैटरल मैरीटाइम अभ्यास
मालाबार अभ्यास(Exercise Malabar)	त्रि-पक्षीय नौसेना अभ्यास(US,जापान और भारत के मध्य)
इंद्र(INDRA)	भारत और रूस के मध्य संपन्न सैन्य अभ्यास
इब्सामार (IBSAMAR)	भारत,ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य
कोंकण अभ्यास (Exercise KONKAN)	भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी(ब्रिटेन)
औसिंडेक्स-15(AUSINDEX-15)	भारत- आस्ट्रेलिया नेविगेशन अभ्यास
सहयोग-काइजिन(Sahyog-Kaijin)	भारत-जापान तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास
इन्द्रधनुष अभ्यास(Indradhanush exercises.)	भारत और यूनाइटेड किंगडम वायु सेना
मित्र शक्ति(Mithra Shakti)	भारत-श्रीलंका सैन्य अभ्यास
शक्ति अभ्यास(Exercise Shakti)	भारत और श्रीलंका सेना
नोमैडिक एलीफैंटअभ्यास(Exercise Nomadic Elephant)	भारत-मंगोलिया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास
युद्ध अभ्यास(Exercise Yuddh Abhyas)	भारत-US संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण

सूर्य किरण (Surya Kiran)	भारत-नेपाल के बीच बटालियन स्तर का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास
खंजर(Khanjar)	भारत और किर्गिस्तान
हरिमाऊ शक्ति(Harimau Shakti)	भारत और मलेशिया
रेड फ्लैग (Red Flag)	भारत और US के वायुसेना
डेजर्ट ईगल (Desert Eagle)	भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात(UAE) के बीच वायुसेना अभ्यास



ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS

- **General Studies** (हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध)
- **CSAT**

- VISION IAS Post Test Analysis™
- Flexible Timings
- ONLINE Student Account to write tests and Performance Analysis
- All India Ranking
- Expert support - Email/ Telephonic Interaction
- Monthly current affairs

MAINS

- **General Studies** (हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध)
- **Geography**
- **Essay**
- **Philosophy**
- **Sociology**

8. पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्न

(PREVIOUS YEAR QUESTIONS)

1. भारत की 'पूर्व की ओर देखो' नीति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये। (CSE-2011)
 1. भारत पूर्वी एशियाई मामले में स्वयं को एक क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है।
 2. भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है।
 3. भारत अपने दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करना चाहता है।

कूट:

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 1 और 3
 - (c) केवल 3
 - (d) 1, 2 और 3
2. हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑस्ट्रेलिया समूह' तथा 'वैसेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाये जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (CSE-2011)
 1. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' एक अनौपचारिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि 'वैसेनार व्यवस्था' OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य है।
 2. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी, और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि 'वैसेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ कौन से कथन सही है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2
 - (d) न तो 1 और न ही 2
3. भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक सम्बन्ध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन-सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या/व्याख्याएं हो सकती है/हैं? (CSE-2011)
 - (a) बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था।
 - (b) प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत-निर्माण तकनी की उपलब्ध थी।
 - (c) इस सम्बन्ध में 'a' तथा 'b' दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं।
 - (d) इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय साशको ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया।
4. निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौसंचालन समय (नेविगेशन टाइम) और दूरी अत्यधिक कम किये जा सकते हैं? (CSE-2011)
 1. मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरूमध्य को अधिक गहरा बना कर।
 2. सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्रा भूसन्धि जलडमरूमध्य के पार नई नहर खोल कर।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से कथन सही है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2
 - (d) न तो 1 और न ही 2

5. 'न्यू स्टार्ट सन्धि' (NEW START Treaty) समाचारों में रही थी। यह सन्धि क्या है? (CSE-2011)
- यह संयुक्त राज अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की सन्धि है।
 - यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मलेन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग सन्धि है।
 - यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग सन्धि है।
 - यह 'ब्रिक्स'(BRICS) देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग सन्धि है।
6. भू-युद्धनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण-पूर्वी एशिया लम्बे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक सन्दर्भ की निम्नलिखित में से कौन-सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? (CSE-2011)
- यह द्वितीय विश्वयुद्ध का सक्रिय घटनास्थल था
 - यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है
 - यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी
 - यह प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है
7. UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं?(CSE-2012)
1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन
 2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता
 3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर
- कूट :
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2 और 3
 - (c) केवल 1 और 3
 - (d) 1, 2 और 3
8. हाल ही में एक जन-विद्रोह श्रृंखला, जिसे 'अरब स्प्रिंग' कहा गया, मूलतः किस देश से शुरू हुई?(CSE-2014)
- (a) मिस्र (इजिप्ट)
 - (b) लेबनान
 - (c) सीरिया
 - (d) ट्यूनीशिया
9. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये (CSE-2014)
1. डेनमार्क
 2. जापान
 3. रशियन फेडरेशन
 4. यूनाइटेड किंगडम
 5. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
- उपरोक्त में से कौन-से 'आर्कटिक काउन्सिल' के सदस्य हैं?
- (a) 1, 2 और 3
 - (b) 2, 3 और 4
 - (c) 1, 4 और 5
 - (d) 1, 3 और 5

10. निम्न में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/है: (CSE-2014)

क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है देश

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. चेन्न्या | : | रशियन फेडरेशन |
| 2. दारफुर | : | माली |
| 3. स्वात घाटी | : | इराक |

कूट :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

11. 'पृथ्वी काल' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (CSE-2014)

- 1. यह UNEP तथा UNESCO का उपक्रमण है।
 - 2. यह एक आन्दोलन है, जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन, एक घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं।
 - 3. यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आन्दोलन है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

12. BRICS के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (CSE-2014)

- 1. BRICS का पहला शिखर सम्मलेन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2009 में हुआ था।
 - 2. दक्षिण अफ्रीका BRICS समूह में अंत में शामिल हुआ।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

13. एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? (CSE-2015)

- (a) गृहयुद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण
- (b) विश्वव्यापी मानव अधिकार आन्दोलन
- (c) अति निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन
- (d) युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर-सरकारी अभिकरण

14. भारत निम्नलिखित में से किसका/किनका सदस्य है? (CSE-2015)

- 1. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एशिया-पैसिफिक इकनोमिक कारपोरेशन)
 - 2. दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स)
 - 3. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट)
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2, और 3
- (d) भारत इनमें से किसी का सदस्य नहीं है

15. मेकांग-गंगा सहयोग में, जिन छः देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश प्रतिभागी नहीं है/हैं? (CSE-2015)
1. बांग्लादेश
 2. कम्बोडिया
 3. चीन
 4. म्यांमार
 5. थाईलैंड
- कूट:
- (a) केवल 1
 - (b) 2, 3 और 4
 - (c) 1 और 3
 - (d) 1, 2 और 5
16. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रिम संघ[इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन(IOR-ARC)]' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (CSE-2015)
1. इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव(आयल स्पिल्स) की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप की गयी है।
 2. यह एक ऐसी मैत्री है, जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2
17. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली 'बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच' (बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफार्म फॉर एक्शन) निम्नलिखित में से क्या है? (CSE-2015)
- (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति(स्ट्रेटेजी), शंघाई सहयोग संगठन(शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन) की बैठक का एक परिणाम
 - (b) एशिया- प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक एक कार्ययोजना, एशिया- प्रशांत आर्थिक मंच(एशिया-पैसिफिक इकॉनॉमिक फोरम) के विचार-विमर्श का एक परिणाम
 - (c) महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम
 - (d) वन्यजीवों के दुर्व्यवहार(ट्रेफिकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मलेन(ईस्ट एशिया समिट) की एक उद्घोषणा
18. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये (CSE-2015)
1. चीन
 2. फ्रांस
 3. भारत
 4. इजराइल
 5. पाकिस्तान
- उपरोक्त में से कौन-से परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक सन्धि जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि (ट्रीटी ऑन द नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी) (NPT) के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार, परमाणु शस्त्र-संपन्न राज्य (न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स) है?
- (a) केवल 1 और 2
 - (b) केवल 1, 3, 4 और 5
 - (c) केवल 2, 4 और 5
 - (d) 1, 2, 3, 4 और 5

19. हाल ही में समाचारों में आई 'फोटोलेज़ा उद्घोषणा' (फोटोलेज़ा डिक्लेरेशन) निम्नलिखित में से किसके मामले से सम्बंधित है? (CSE-2015)
- ASEAN
 - BRICS
 - OECD
 - WTO
20. निम्नलिखित में से किनका एबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार-बार उल्लेख हुआ है? (CSE-2015)
- सीरिया और जॉर्डन
 - गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया
 - फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी
 - जमैका, हैती और सूरीनाम
21. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रिकल्चर' (Agreement on Agriculture), 'एग्रीमेंट ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ़ सैनेटरी एंड फ़ैटोसैनेटरी मेजर्स' (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) और 'पीस क्लॉज़' (Peace Clause) शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामले के सन्दर्भ में आते हैं? (CSE-2015)
- खाद्य और कृषि संगठन
 - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
 - विश्व व्यापार संगठन
 - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
22. 'गोलन हाइट्स' के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित घटनाओं के सन्दर्भ में यदा-कदा समाचारों में आता है? (CSE-2015)
- मध्य एशिया
 - मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट)
 - दक्षिण-पूर्व एशिया
 - मध्य अफ्रीका
23. आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 (Rio+20) सम्मलेन क्या है? (CSE-2015)
- यह धारणीय विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन है
 - यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय (मिनिस्टीरियल) बैठक है
 - यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) का सम्मलेन है
 - यह जैव-विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मलेन है
24. भारत-अफ्रीका शिखर सम्मलेन (India-Africa Summit) (CSE-2016)
- जो 2015 में हुआ, तीसरा सम्मलेन था।
 - की शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 न ही 2

25. जो प्रायः समाचारों में आया है (CSE-2016)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग
 - एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन
 - यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अन्तः सरकारी एजेंसी
 - संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी
26. निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद्' (Gulf Co-operation Council) का सदस्य नहीं है?
- ईरान
 - सऊदी अरब
 - ओमान
 - कुवैत
27. कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (Belt and Road Initiative) किसके मामले के सन्दर्भ में आता है? (CSE-2016)
- अफ्रीकी संघ
 - ब्राज़ील
 - यूरोपीय संघ
 - चीन
28. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- | समाचारों में कभी-कभी उल्लिखित समुदाय | किसके मामले में |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. कुर्द | : बांग्लादेश |
| 2. मधेसी | : नेपाल |
| 3. रोहिंग्या | : म्यांमार |
- उपरोक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
- 1 और 2
 - केवल 2
 - 2 और 3
 - केवल 3
29. रासायनिक आयुध निषेध संगठन (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (CSE-2016)
- यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है, जिस NATO तथा WHO से कार्यकारी सम्बन्ध है।
 - यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है।
 - यह राज्यों(पार्टियों) को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2 और 3
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3